

वन संरक्षण, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार एवं उनके उपक्रम की लंबित परियोजनाएँ

सी०सी०एल० की परियोजनाएँ की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | खासमहल खुली खदान परियोजना | 174.48 हे. (पूर्व खंडित 89.6 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-37/2003-एफ.सी. दिनांक 31.07.2006 द्वारा 15 शर्तों के साथ स्टेज - II स्वीकृति प्राप्त । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है । |
| 2 | खासमहल भूमिगत परियोजना | 149.20 हे. (पूर्व खंडित 6.2 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 12(21) 9/03-एफ.सी.ई. दिनांक 30.01.03 द्वारा कतिपय पृच्छायें करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव की मांग की गयी है। | सी.सी.एल. ने सूचित किया है कि संशोधित प्रस्ताव दिनांक 16.06.2005 को समर्पित कर दिया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा जाँच कार्य के पश्चात् प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई वांछित है। इस कार्यालय को प्रस्ताव अबतक अप्राप्त। |
| 3 | कावेरी खुली खदान परियोजना | 77.43 हे. (पूर्व खंडित 54.53 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-22/2003-एफ.सी.ई. दिनांक 06.03.04 द्वारा सशर्त स्टेज-I स्वीकृति प्राप्त। | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त है । |
| 4 | कारो भूमिगत परियोजना | 5.6 हे. (पूर्व खंडित) (88.790 हे०) | बोकारो वन प्रमण्डल | दिनांक 03.06.2006 को सी.सी.एल. द्वारा बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो को समर्पित। यह भारत सरकार के निर्देश पर पुनरीक्षित प्रस्ताव है। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के स्तर पर लंबित। (सी.सी.एल. ने सूचना दी है कि सी.सी.एल. द्वारा कारो एक्सटेंशन के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जिसमें इस परियोजना को सम्मिलित किया जाना है।) |
| 5 | करगली भूमिगत परियोजना | 3.24 हे. (सतही पूर्व खंडित) 74.00 हे. भूमिगत 77.24 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.02.03 द्वारा कतिपय पृच्छाएँ की गई हैं, सी.सी.एल. की ओर से बताया गया कि भारत सरकार के पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन दिनांक 13.01.2006 को समर्पित कर दिया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल को इस पर शीघ्र कार्रवाई करना है। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के स्तर पर लंबित। |
| 6 | गोविंदपुर खुली फेज-II खदान परियोजना | 148.17 हे. (पूर्व खंडित 35.37 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-28/2003 एफ.सी. दिनांक 23.12.2004 एवं 01.07.05 द्वारा सशर्त स्टेज-I की स्वीकृति प्राप्त । भारत सरकार के 8-28/2003 एफ.सी. दिनांक 01.07.2005 द्वारा पृच्छा की गई थी कि स्टेज-I के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से सभी राशि की वसूली कर ली गई है या नहीं । कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 545 दिनांक 17.07.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को इस पृच्छा का अनुपालन भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 22पी-2(2)2/2002-3895 दिनांक 09.08.07 द्वारा इसे राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया है । राज्य सरकार के पत्रांक 78/2000 - 5838 दिनांक 29.10.2007 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया । | भारत सरकार के विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 7 | अमलो खुली खदान परियोजना | 222.234 हे. (पूर्व खंडित 93.618 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-137/2003-एफ.सी.ई. दिनांक 7/08.06.04 द्वारा कुल 17 शर्तों के साथ स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । | भारत सरकार द्वारा लगाये गये सभी शर्तों का अनुपालन तक नहीं हो सका है। |
| 8 | ढोरी खास भूमिगत परियोजना | 41.10 हे. सतही 131.10 हे. भूमिगत कुल 172.20 | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-79/2003-एफ.सी. दिनांक 12.01.2005 द्वारा सशर्त स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1823 दिनांक 09.04.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 8-79/2003 एफ सी दिनांक 17.07.2008 द्वारा स्टेज - 2 की स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 669 दिनांक 09.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । |
| 9 | न्यू सेलेक्टेड ढोरी भूमिगत परियोजना | 70.568 हे. (पूर्व खंडित 17.328 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार का पत्रांक 8-74/2003-एफ.सी. दिनांक 19.05.05 द्वारा सशर्त स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त । भारत सरकार के पत्रांक 8-74/2003 एफ सी दिनांक 17.07.2008 द्वारा स्टेज - 2 की स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 670 दिनांक 09.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | स्टेज 1 स्वीकृति के आलोक में सी.सी.एल. पर कतिपय राशि बकाया है। सी.सी.एल. ने सूचित किया है कि उक्त राशि का समायोजन गिरीडीह वन प्रमण्डल में पूर्व में जमा राशि रु. 1,34,36,000/- से करना है। साथ ही मकोली गांव में प्लॉट संख्या 1 के संबंध में सी सी एल द्वारा स्पष्ट की जानी है । इस परियोजना के संबंध में स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट कार्यकारी निदेशक द्वारा तैयार किया जाना है । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । |
| 10 | करमा खुली खदान परियोजना | वनभूमि - 32.61 हे. जंगल झाड़ी दर्ज भूमि 102.03 हे. कुल 134.61 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार का पत्रांक 8-114/2003- एफ.सी. दिनांक 12.01.05 द्वारा सशर्त स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार के पत्रांक 296 दिनांक 17.01.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । पुनः भारत सरकार के पत्रांक एफ न0 - 8-114/2003 एफ सी दिनांक 31.07.07 द्वारा स्टेज-1 के शर्त 3 एवं 9 का अनुपालन की मांग की गई है । प्रतिवेदन क्षेत्रीय स्तर से अप्राप्त । |
| 11 | तोपा खुली खदान परियोजना | 77.30 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक एफ0 न0 8 - 77/2003-एफ0सी0 दिनांक 27.04.04 द्वारा सशर्त स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1851 दिनांक 03.05.06 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 40/2003 व0प0 6107 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 12 | कुजु भूमिगत परियोजना | 115.00 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-61/2003-एफ.सी. दिनांक 13.09.04 द्वारा सशर्त स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 3811 दिनांक 29.08.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 45/2003 व0प0 6112 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 13 | पिंडरा भूमिगत | 54.79 हे. | हजारीबाग पूर्वी | भारत सरकार के पत्रांक 8-68/2003-एफ.सी. दिनांक 02.11.04 | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | परियोजना | | वन प्रमण्डल | द्वारा स्टेज- II स्वीकृति प्राप्त । | मांग की गई है । अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त । |
| 14 | सारुबेड़ा खुली खदान परियोजना | 196.55 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-75/2003-एफ.सी. दिनांक 16.11.04 द्वारा स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1833 दिनांक 02.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 44/2003 व0प0 6113 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 15 | आरा खुली खदान परियोजना | 166.90 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-65/2003-एफ.सी. दिनांक 1.05.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1815 दिनांक 02.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 50/2003 व0प0 6120 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 16 | अरगड़ा भूमिगत परियोजना | 90.10 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-53/2003-एफ.सी. दिनांक 06.05.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1901 दिनांक 05.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 53/2003 व0प0 6122 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 17 | सिरका खुली खदान परियोजना | 50.80 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-78/2003-एफ.सी. दिनांक 06.05.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1903 दिनांक 06.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 22 पी0 2(2) - 06/2003 - 1903 दिनांक 06.05.2006 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 18 | रेलिगड़ा खुली खदान परियोजना | 135.66 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-67/2003-एफ.सी. दिनांक 7/11.05.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 1894 दिनांक 05.05.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 22 पी0 2(2) - 11/2003 - 1304 दिनांक 05.05.2006 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 19 | गिद्धी "ए" परियोजना | 232.42 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-73/2003-एफ.सी. दिनांक 08.06.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2174 दिनांक 19.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 47/2003 व0प0 6119 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 20 | गिद्धी "सी" खुली खदान परियोजना | 237.30 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-72/2003-एफ.सी. दिनांक 08.06.04 द्वारा सशर्त स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1093 दिनांक 05.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 51/2003 व0प0 6121 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 21 | लइयो भूमिगत | 78.59 हे. | हजारीबाग पूर्वी | भारत सरकार के पत्रांक 8-71/2003-एफ.सी. दिनांक 20.04.04 | भारत सरकार के विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | परियोजना | | वन प्रमण्डल | द्वारा शर्तों स्टेज- स्वीकृति प्राप्त स्टेज-1 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के कार्यालय पत्रांक 2627 दिनांक 26.06.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित राज्य सरकार के पत्र संख्या 37/2003 - 5688 दिनांक 24.11.06 द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षक के उक्त पत्र पर की गई पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक कार्यालय पत्रांक 235 दिनांक 28.03.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजते हुये प्रति राज्य सरकार को भी दी गई है शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2627 दिनांक 20.06.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित राज्य सरकार के पत्रांक 22 पी0 2(2) - 09/2003 - 2627 दिनांक 26.06.2006 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित | |
| 22 | केदला भूमिगत परियोजना | 29.19 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 12(21)15/2003-एफ.सी. दिनांक 23.09.06 द्वारा कुल 7 शर्तों के साथ स्टेज- स्वीकृति प्राप्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2504 दिनांक 19.05.06 द्वारा प्रेषित राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 35/2003 व0प0 6116 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित | भारत सरकार के विचाराधीन |
| 23 | केदला खुली खदान परियोजना | 168.50 हे. (पूर्व खंडित 112.10 हे.) | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-55/2003-एफ.सी. दिनांक 23.08.04 द्वारा कुल 15 शर्तों के साथ स्टेज- स्वीकृति प्राप्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के पत्रांक 1899 दिनांक 06.05.2006 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 36/2003 व0प0 6117 दिनांक 28.11.2007द्वारा भारत सरकार को प्रेषित | भारत सरकार के विचाराधीन |
| 24 | झारखण्ड खुली खदान परियोजना | 96.28 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-52/03 एफ.सी. दिनांक 28.05.04 द्वारा 16 शर्तों के साथ स्टेज- की स्वीकृति। वन विभागीय पत्रांक वनभूमि 39/2003-626 दिनांक 02.02.05 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पत्रांक 1107 दिनांक 14.03.05 द्वारा की गई पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 276 दिनांक 04.04.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया है कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 276 दिनांक. 04.04.07 की प्रति क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को देते हुये उनसे स्टेज-2 में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया है। | क्षेत्रीय स्तर पर लंबित। |
| 25 | तापीन नार्थ परियोजना | 55.69 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-66/03 एफ.सी. दिनांक 21.06.05 द्वारा कुल 15 शर्तों के साथ स्टेज- स्वीकृति प्राप्त | स्टेज-2 के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मांग की गई है |
| 26 | तापीन साउथ परियोजना | 15.55 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | 1. राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि-61/2003-3978 दिनांक 06.08.03 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। 2. भारत सरकार के पत्रांक 12(21) 40/03-एफ.सी.ई. दिनांक 03.09.03 द्वारा पृच्छायें की गई हैं। पृच्छा का जवाब प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 1933 दिनांक 16.04.04 द्वारा | राज्य सरकार के विचाराधीन |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | | | राज्य सरकार को प्रेषित । | |
| 27 | परेज खुली खदान परियोजना | 7.10 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-209/01 एफ.सी. दिनांक 1/02.07.04 द्वारा 6 शर्तों के साथ स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 2958 दिनांक 18.07.06 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 42/2003 व0प0 6115 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 8-209/1991 एफ सी दिनांक 17.07.2008 द्वारा स्टेज - 2 की स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 671 दिनांक 09.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । |
| 28 | रजरप्पा ओ.सी.पी. | 510.82 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-105/03 एफ.सी. दिनांक 15.03.07 द्वारा कुल 15 शर्तों के साथ अंतिम स्वीकृति प्राप्त । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । सी सी एल द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का 4 फीट उँचे सीमा स्तम्भों से सीमांकन का कार्य नहीं कराया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 29 | पुंड़ी खुली खदान परियोजना | 1980 के पूर्व खंडित 49.73 हे. 1980 के बाद खंडित 3.24 हे. कुल 52.97 हे. (पूर्व खंडित) | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-46/04 एफ.सी. दिनांक 8.6.2004 द्वारा स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 1832 दिनांक 02.05.06 द्वारा प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 14/2003 व0प0 6123 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 30 | उरिमारी परियोजना | 91.04 हे. (पूर्व खंडित) | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-68/04 एफ.सी. दिनांक 10/15.9.2004 द्वारा 7 शर्तों के साथ स्टेज-1 की स्वीकृति । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 2461 दिनांक 23.05.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 31/2004 6111 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 8-68/04 एफ.सी. दिनांक 17.07.08 द्वारा स्टेज - 2 की स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 667 दिनांक 09.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । |
| 31 | सयाल "डी" परियोजना | 192.32 हे. (पूर्व खंडित) | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-66/2004-एफ.सी. दिनांक 14.1.2005 द्वारा सशर्त स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 2244 दिनांक 10.05.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 29/2004 6110 दिनांक 28.11.2007 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 8-66/2004 एफ सी दिनांक 17. | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | 07.2008 द्वारा स्टेज - 2 की स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 668 दिनांक 09.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | |
| 32 | तापीन नार्थ खुली खादान परियोजना | 213.53 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 3793 दिनांक 28.08.2006 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित । | झारखण्ड राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्रांक वनभूमि 72/2006 - 5503 दिनांक 16.11.2006 द्वारा निम्नांकित कागजात वांछित है :- उपायुक्त का अनापति प्रमाण पत्र / क्षतिपुरक वनरोपण हेतु भूमि की विवरणी/ पर्यावरणिक स्वीकृति से संबंधित सूचना सी.सी.एल./वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया जाना है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 1099 दिनांक 21.12.06 द्वारा क्षे०मु०व०स०, हजारीबाग से पृच्छा की गई है । अनुपालन प्रतिवेदन वांछित है । |
| 33 | न्यु गिद्दी खुली खादान परियोजना | 73.55 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-149/02 एफ.सी. दिनांक 1/7-06.04 द्वारा 18 शर्तों के साथ स्टेज- II की स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई है जो अब तक अप्राप्त है । | सी.सी.एल. ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्टेज-II की स्वीकृति प्राप्त है लेकिन आवेदित भूमि अतिक्रमित है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल (पूर्व का हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल) को निर्देश दिया गया है कि वे अधिसूचित वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायें । जंगल झाड़ी दर्ज भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सी.सी.एल. द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क किया जाना है । इस कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त । |
| 34 | पिपरवार खुली खादान परियोजना | 101.87 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-54/2003-एफ.सी. दिनांक 13.01.2004 द्वारा स्टेज- II स्वीकृति 15 शर्तों पर प्राप्त । अनुपालन प्रतिवेदन हेतु नाभिक पदाधिकारी द्वारा बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 35 | रजरप्पा ओ.सी.पी. हेतु दामोदर नदी पर पुल का निर्माण | 1.52 हे. (04.13 हे.) | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 12(26)10/2004-एफ.सी.ई. दिनांक 6.5.2004 द्वारा स्टेज- I स्वीकृति प्राप्त । (1.52 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु) । अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 5548 दिनांक 28.12.2004 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 12(26)10/2004-एफ.सी. दिनांक 11.11.04 द्वारा स्टेज-2 प्राप्त । | स्टेज-2 के शर्तों का अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है । |
| 36 | न्यू सेलेक्टेड ढोरी ओ.सी.पी. | 69.183 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नलिखित तीन बिन्दुओं का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है :- इस कार्यालय के ज्ञापांक 368 दिनांक 02.05.2008 द्वारा पुनः स्मारित किया गया है । 1. पूर्व में खनन कार्य किये गये ओभर वर्डन डम्प का रिक्लेमेशन एवं वनरोपण का अनुपालन नहीं हुआ है । 2. 31.03.2003 को आई0जी0एफ0 (एफ सी) के साथ हुई वार्ता के | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त । स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट तैयार करना है । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | आलोक में बिन्दुवार अनुपालन नहीं हुआ है । 3. 164.207 हे० वनभूमि जिसकी सी सी एल को जरूरत नहीं है उसे रिक्लेमेशन एवं वनरोपण कर वन विभन्न को वापस नहीं किया गया है । | |
| 37 | तारमी ओ.सी.पी. | 55.06 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-122/97 एफ.सी. दिनांक 04.05.98 द्वारा दिनांक 09.09.05 द्वारा सशर्त स्टेज- । प्राप्त। विभागीय पत्र संख्या 5928 दिनांक 17.12.2002 द्वारा अतिरिक्त सूचनाएँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक से माँगी गई हैं। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 561 दिनांक 23.07.07 द्वारा स्टेज-। का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 4150 दिनांक 21.08.07 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा गया । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 38 | एच.डी. हेसालौंग परियोजना | 28.95 हे. | रॉची पूर्वी वन प्रमण्डल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 386 दिनांक 06.05.2008 द्वारा स्टेज-1 का अनुपालन प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉची को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1756 दिनांक 10.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 39 | बिरसा परियोजना | 226.51 हे. | हजारीबाग वन प्रमण्डल | स्टेज-। स्वीकृति के लिये प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 22 पी० 2(2)/2.2005-1949 दिनांक 17.04.2007 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया । पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 2008 दिनांक 26.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 40 | करमा परियोजना पहुँच पथ | 3.16 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | प्रस्ताव में जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि के लिए संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण एवं टोपोशीट वांछित है । सी.सी.एल. को उक्त अभिलेख उपलब्ध कराना है । | सी.सी.एल. के स्तर पर लंबित । |
| 41 | सौदा "डी" | 16.00 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | प्रस्ताव नाभिक पदाधिकारी के पत्रांक 810 दिनांक 17.07.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को अग्रसारित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉची के पत्रांक -22पी-2(2)7/04-3873 दिनांक 08.08.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 42 | चोरधरा परियोजना | 14.24 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | सी.सी.एल. की ओर से खान के वर्षों पूर्व बन्द होने की तथा इसका पुनरावर्तन कर इस पर वृक्षारोपण की सूचना दी गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने इस परियोजना का अनुमोदित माइनिंग प्लान, रिक्लेमेशन प्लान, सेपटी जोन का विवरण, लागत लाभ विश्लेषण, संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, प्रस्ताव की अतिरिक्त प्रति का माँग किया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल को निर्देश दिया गया है कि वे सी.सी.एल. की सूचना की जाँच कर प्रतिवेदन तथा वांछित अभिलेख उपलब्ध करायेंगे। | सी.सी.एल. के स्तर पर लंबित । |
| 43 | आम्रपाली परियोजना | 531.64 हे. | हजारीबाग वन प्रमण्डल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 209 दिनांक 19.03.08 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर विचाराधीन । |
| 44 | मगध परियोजना | 10.82 हे. | हजारीबाग | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्र संख्या 2012 दिनांक 19. | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | पश्चिमी वन प्रमण्डल | 04.07 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव स्टेज-। स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित । | |
| 45 | मगध परियोजना | 96.72 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 299 दिनांक 09.04.07 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर विचाराधीन । |
| 46 | उरिमारी परियोजना | 31.89 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | सी.सी.एल. द्वारा नवीकरण प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल को नहीं दिया गया है । | सी.सी.एल. के स्तर पर लंबित। |
| 47 | पिपरवार परियोजना | 43.30 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-172/89 एफ सी दिनांक 03.01.1995 द्वारा स्टेज-2 की स्वीकृति प्राप्त (आठ शर्तों के साथ) है । जिसकी अवधि 10 वर्षों के लिये थी 03.01.1995 में समाप्त हो चुकी है । नवीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1895 दिनांक 16.05.2008 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2065 दिनांक 29.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 48 | तिसरी भूमिगत परियोजना | 71.76 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | इस परियोजना के अन्तर्गत वनभूमि का सीमांकन किया जाना था। सी.सी.एल. ने सूचित किया कि सीमांकन करा लिया गया है। इसकी सूचना वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल से अप्राप्त है। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के स्तर पर लंबित। |
| 49 | कोनार ओ०सी०पी० | 211.44 हे. | बोकारो वन प्रमण्डल | सी.सी.एल. द्वारा प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को समर्पित किया गया है। क्षेत्र का डीमारकेशन सी.सी.एल. द्वारा करा लिया गया है। डीमारकेशन के अन्दर वृक्षों की गणना किया जाना है। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के स्तर पर लंबित। |
| 50 | झारखण्ड ओ०सी०पी० | 6.59 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | प्रस्ताव को स्टेज-1 स्वीकृति के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 22पी० 2(2)6/07 1986 दिनांक 18.04.07 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 51 | झारखण्ड ओ०सी०पी० | 57.94 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 304 दिनांक 11.04.07 द्वारा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2222 दिनांक 10.05.07 द्वारा 3 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 304 दिनांक 11.04.07 एवं पत्रांक 537 दिनांक 17.07.07 द्वारा वांछित सूचनाएँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेज दी गई है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची का पत्रांक 22पी-2(0)/92 -4952 दिनांक 10.10.2007 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 52 | चूरी परियोजना | 312.76 हे० | राँची पूर्वी वन प्रमण्डल | प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2245 दिनांक 10.05.2007 द्वारा राज्य सरकार को समर्पित । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 53 | सौंदा डी (नवीकरण) | 99.69 हे० | रामगढ़ वन प्रमण्डल | प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 753 दिनांक | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के स्तर पर लंबित । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | प्रमंडल | 09.04.2007 द्वारा नाभिक पदाधिकारी, झारखण्ड को अग्रसारित । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 580 दिनांक 30.07.07 द्वारा नवीकरण प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु अग्रसारित । | |
| 54 | परेज पूर्वी ओ0सी0पी0 (नवीकरण) | 43.52 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रस्ताव कार्यकारी निदेशक, के पत्रांक 307 दिनांक 11.04.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को अग्रसारित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 2501 दिनांक 25.05.07 द्वारा 3 बिन्दुओं पर पृच्छायें की गई है । | पृच्छाओं के निराकरण की कार्यवाई की जा रही है । |
| 55 | न्यु करगली वासरी परियोजना | 12.060 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 583 दिनांक 30.07.07 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 4684 दिनांक 21.09.2007 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 56 | खास महल फेज -2 | 26.94 हे0 | बोकारों वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 2059 दिनांक 29.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 57 | कारो खुली खदान परियोजना | 226.67 | बोकारों वन प्रमंडल | सी.सी.एल. द्वारा मानचित्र के अनुरूप वन भूमि का सीमांकन नहीं कराये जाने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल के पत्रांक 101 दिनांक 18.01.2007 द्वारा सी.सी.एल. को प्रस्ताव वापस कर दिया गया है । | सी.सी.एल. के स्तर पर लंबित । |
| 58 | रजरप्पा ब्लॉक -2 | 59.04 हे0 | बोकारों वन प्रमंडल | सी.सी.एल. द्वारा मानचित्र के अनुरूप वन भूमि का सीमांकन नहीं कराये जाने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल के पत्रांक 104 दिनांक 18.01.2007 द्वारा सी.सी.एल. को प्रस्ताव वापस कर दिया गया है । | सी.सी.एल. के स्तर पर लंबित । |
| 59 | रेलवे साईडिंग टोरी | 0.65 हे0 | लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 391 दिनांक 08.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के पत्रांक 1752 दिनांक 10.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 60 | पिपरवार रेलवे साईडिंग | 29.50 हे0 | रॉंची पूर्वी वन प्रमंडल | सी सी एल द्वारा मूल टोपो शीट अथवा इसकी स्पष्ट छायाप्रति पर परियोजना स्थल को दर्शाते हुये सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी, रॉंची पूर्वी को दी जायेगी । सूचना प्राप्त होते ही अग्रतर कार्यवाई वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । | प्रयोक्ता अभिकरण /वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित । |
| 61 | राजरप्पा ब्लॉक- II | 59.04 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | सी सी एल द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम अन्तर्गत अनपत्ति प्रमाण पत्र बोकारो वन प्रमंडल को उपलब्ध कराया जायेगा । तत्पश्चात प्रस्ताव पर अग्रतर कार्यवाई वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । | प्रयोक्ता अभिकरण /वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित । |
| 62 | अशोका ओ.सी.पी. | 76.55 हे0 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 889 दिनांक 27.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को प्रस्ताव की 9 प्रतियां जांच हेतु भेजी गई । प्रस्ताव में जंगल झाड़ भूमि से संबंधित राजस्व पदाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा किसम जमीन का विवरण वांछित है । गैरमजरूआ भूमि के संबंध में उपायुक्त चतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अंतर्ग्रस्त वन भूमि का रकवा | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 63 | कोनार खुली खदान | 301.39 हे० | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 367 दिनांक 22.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1992 दिनांक 24.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

ई०सी०एल० की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | राजमहल खुली खदान ललमतिया गोडडा परियोजना (प्रथम चरण) | 17.64 हे० | वन प्रमण्डल पदा०, दुमका वन प्रम० | भारत सरकार के पत्रांक-8-303/89 - एफ० सी०, दिनांक-26.10.1993 द्वारा स्टेज- ॥ की स्वीकृति प्राप्त है । | अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका से अप्राप्त है । |
| 2 | राजमहल परियोजना | 69.73हे० 69.75 हे० | वन प्रमण्डल पदा०, दुमका वन प्रम० | भारत सरकार के पत्रांक-8-89/03 - एफ० सी०, दिनांक- 25.08.2004 द्वारा 14 शर्तों के साथ स्टेज- ॥ की स्वीकृति प्राप्त है । अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक-602, दिनांक - 15.6.2004 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3090, दिनांक-15.7.2005 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित है । | राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाना है । |
| 3 | एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी | 72.77 हे० | वन प्रमण्डल पदा०, देवघर वन प्रम० | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची के पत्रांक- 1172, दिनांक-11.3.1997 द्वारा प्रस्ताव आयुक्त एवं सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, को प्रेषित । बिहार सरकार के पत्रांक-484, दिनांक- 25.4.1997 द्वारा की गयी पृच्छाओं का यथा वर्ष 1991 से 1997 तक अवैध खनन के संबंध में पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण/ क्षेत्र 0मु०व०सं०, दुमका से अब तक अप्राप्त है । | क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई जारी है । |
| 4 | सिमलौग कोलियरी | 3.48 हे० | वन प्रमण्डल पदा०, पाकुड़ वन प्रम० | भारत सरकार के पत्रांक 5-जे.एच.बी.-019/2006 बी.एच.यु.दिनांक 12.02.2007 द्वारा कुल 5 शर्तों के साथ स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । स्टेज - 1 में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 710 दिनांक 11.09.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को भेजा गया । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि - 53/05 - 5670 दिनांक 15.10.2007 द्वारा भारत सरकार, (भुवनेश्वर) को भेजा गया । राशि को कैम्पा लेखा मे जमा होने की सूचना कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 866 दिनांक 02.11.07 द्वार भुवनेश्वर कार्यालय को भेजा जा चुका है । | भारत सरकार के विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 5 | चुपर भीटा | 260.193 हे0 236.699 हे0 | वन प्रमंडल पदा0, पाकुड़/गोड्डा वन प्रम0 | प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के पत्रांक 1045 दिनांक 12.06.2007 द्वारा कार्यकारी निदेशक कार्यालय को प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव में कई त्रुटियां हैं जिसके निराकरण के लिये प्रस्ताव को पुनः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका, कार्यालय को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 492 दिनांक 28.06.07 द्वारा लौटा दिया गया है । पुनरीक्षण प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के कार्यालय पत्रांक 1608 दिनांक 12.09.2007 द्वारा प्राप्त है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 885 दिनांक 27.11.07 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अपयोजित होनेवाली संपूर्ण भूमि का विवरणी की मांग की गई है, जो अप्राप्त है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 6 | हुरा 'सी' परियोजना | 573.043 हे0 | गोड्डा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2866 दिनांक 12.03.2008 द्वारा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया । | भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

डी०भी०सी० से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | इफको मरार के लिए 33 के०बी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु | 0.084 हे. | रामगढ़ वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 5-जेएचबी-004-05 दिनांक 30.05.07 द्वारा कुल 17 शर्तों के साथ स्टेज-2 स्वीकृति प्राप्त । | स्टेज-2 के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मांग की गई है । प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 2 | डी०वी०सी० के मैथन राइट बैंक थरमल पावर स्टेशन धनबाद | 176.611 हे. | वन प्रमंडल, धनबाद | भारत सरकार के पत्रांक 8-98/2002-एफ सी दिनांक 02.04.07 द्वारा कुल 19 शर्तों के साथ स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 3579 दिनांक 23.07.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1964 दिनांक 23.05.08 द्वारा शर्त संख्या 3 के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर कार्य प्रगति पर । |
| 3 | पेटरवार-गोला-रामगढ़ तक 220 के.वी.ए. ट्रांसमिशन लाईन स्थापना | 27.457 हे. | बोकारो-रामगढ़ वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्र 12(25)-5/04 एफ.सी.ई. दिनांक 31.12.2004 द्वारा स्टेज-I स्वीकृति प्राप्त। अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार के पत्रांक 117 दिनांक 08.01.2007 से भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के भुवनेश्वर कार्यालय के पत्रांक 12(25)5/2004-एफसीई दिनांक 28.05.07 द्वारा 17 शर्तों के साथ स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त । प्रयोक्ता अभिकरण ने कुल अपयोजित भूमि में से 9.062 हे० वन भूमि में री-रूटीन कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जिसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 596 दिनांक 18.07.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को भेजा गया । | स्टेज-1 में लगाया शर्तों की अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की जा रही है । प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 4 | बोकारो थर्मल पावर का राख निस्तारण परियोजना | 65.00 हे. | बोकारो वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-40/2006 एफ सी दिनांक 13.02.07 द्वारा कुल 12 शर्तों के साथ स्टेज-1 की स्वीकृति । | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय पदाधिकारियों से की गई । प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 5 | 2 x 500 = 1000 मेगावाट क्षमता वाले सुपर पॉवर की स्थापना । | 155.1498 हे. | कोडरमा वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-40/2007-एफ सी दिनांक 04.01.2008 से स्टेज-2 प्राप्त । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से अनुपालन हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 333 दिनांक 12.02.2008 द्वारा पत्र भेजा गया । | राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 42/07-654 व०प० राँची दिनांक 27.02.2008 द्वारा वनभूमि विमुक्ति का आदेश दिया गया । |
| 6 | मेजिया से गोला तक टी एल | 32.553 हे० | बोकारो वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 634 दिनांक 14.08.07 द्वारा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची के पत्रांक 4253 दिनांक 28.08.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 7. | 400 के.बी. मैथन पावर लाईन निर्माण | 19.596 हे० | धनबाद वन प्रमंडल | राज्य सरकार के पत्रांक वन भूमि 37/2006 व.प. दिनांक 21.12.2006 द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, भारत सरकार को अग्रसारित । | भारत सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 8 | 132 के वी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन । डी० वी० सी० | 11.25 हे० | कोडरमा वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 648 दिनांक 20.08.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को प्रेषित किया गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची के पत्रांक 22 पी० - 3 (3) 11 - 4252 दिनांक 28.08. | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | 07 द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया । | |
| 9 | धनबाद गिरीडीह 220 के वी ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना । | 42.243 हे0 | धनबाद वन प्रमंडल/गिरीडीह वन रोपण | प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची के पत्रांक 2112 दिनांक 03.06.08 द्वारा सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार को प्रस्ताव भेजा गया । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 10 | रघुनाथपुर टी.पी. स्टेशन, धनवाद, / राँची | | वन प्रमंडल राँची / वन प्रमंडल धनवाद | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कार्याकारी निदेशक के पत्रांक 166 दिनांक 26.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची एवं धनवाद को भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 11 | गोला से राँची तक 220 के वी ए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण । | 201.638 हे0 | राँची पूर्वी / रामगढ़ वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कार्याकारी निदेशक के पत्रांक 535 दिनांक 26.06.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची एवं रामगढ़ को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 12 | रामगढ़ से राधा कास्टिंग तक 33 के वी ए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन । | 2.734 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कार्याकारी निदेशक के पत्रांक 573 दिनांक 08.07.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को भेजा गया । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची स्तर पर विचाराधीन । |
| 13 | 132 के वी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन नार्थ कर्णपुरा राँची से टन्डवा | 32.602 हे0 | चतरा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कार्याकारी निदेशक के पत्रांक 648 दिनांक 05.08.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी,, चतरा को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |

एन0टी0पी0सी0 की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | नार्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना | 121.74 हे0 | हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल | प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 2010 दिनांक 19.04.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 3102 दिनांक 27.06.07 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-76/2007-एफ सी दिनांक 27.09.07 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया है । प्राप्त सूचना के अनुसार निरीक्षण कर लिया गया है । पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नई दिल्ली को प्रतिवेदन भेजा गया है । कार्याकारी निदेशक के पत्र संख्या 521 दिनांक 09.07.07 द्वारा उपायुक्त चतरा से अनुरोध किया गया कि गैर मजरूआ भूमि के उपयोग के संबंध में वे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करें । उपायुक्त चतरा से प्रतिवेदन प्राप्त है । पूर्व में 121.74 हे0 का प्रस्ताव था परन्तु बीच में 20 हे0 भारत सरकार ने टाउनशिप के लिये स्थल परिवर्तन किया । संषोधित प्रस्ताव प्रयोक्त अभिकरण द्वारा कार्याकारी निदेशक के पत्रांक 371 दिनांक 00.05.2008 को प्रधान मुख्य | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | वन संरक्षक, को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1743 दिनांक 09.05.2008 द्वारा प्रधान सचिव झारखण्ड सरकार को प्रेषित । | |
|--|--|--|--|--|--|

झारखण्ड इन्टीग्रेटेड पावर लिमिटेड की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | तिलैया क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र के लिये जमीन एवं पानी अन्वेषण के संबंध में । | 300 हे० | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | विभागीय पत्रांक 2454 दिनांक 17.05.07 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्वेषण कार्य स्थगित करने के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को इस योजना को स्थगित करने का अनुसंसा किया गया है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 817 दिनांक 31.10.07 द्वारा इसकी सूचना राज्य सरकार को अग्रतर कार्रवाई हेतु दी गई है । | प्रस्ताव की वापस करने की अनुसंसा राज्य सरकार द्वारा की गई है । |
| 2 | 4000 मेगावाट अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट । | 622.02 हे० | वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी । | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 173 दिनांक 27.02.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1003 दिनांक 13.03.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 2 के चौड़ीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव । | 17.743 हे. | वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/गिरिडीह वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक-12(26) 2/03-एफ.सी.ई. दिनांक 30.06.2005 द्वारा कुल 10 शर्तों के साथ स्टेज- II स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्र सं.-1847 दिनांक 03.05.2006 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । वन विभागीय पत्र संख्या 2339 दिनांक 17.05.2006 द्वारा कार्यानुमति दे दी गई है । | |
| 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 के सुदृढ़करण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव । | 1.3037 हे. | गिरीडीह वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक-5-जे.एच.बी. 011/05-एफ.सी.ई. दिनांक 12.09.2006 द्वारा कुल 17 शर्तों के साथ स्टेज-II की स्वीकृति प्राप्त । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-663 दिनांक 06.02.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के पत्रांक 1818 दिनांक 26.03.07 द्वारा वनभूमि विमुक्ति का आदेश निर्गत । |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | नेशनल हाईवे ऑथरिटी इण्डिया लि0, धनबाद । सड़क चौड़ीकरण । | 4.248 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | प्रयोक्ता अभिकरण को आवश्यक अभिलेख समर्पित करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 1833 दिनांक 23.05.07 द्वारा अनुरोध किया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
|---|---|-----------|-------------------|--|-------------------------------------|

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दुर्गापुर विद्युत लाईन उन्नयन प्रस्ताव । 400 के.वी. | 2..695 हे0 | वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी अंचल, राँची । (दलमा वन्यप्राणी) | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 448 दिनांक 11.06.07 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी को समीक्षा हेतु भेजा गया है । 400 के. भी. डबल सर्कीट लाईन को मल्टीसर्कीट लाइन में परिवर्तन करना है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 764 दिनांक 04.10.2007 से प्रस्ताव को भारत सरकार (भुवनेश्वर) को 2.696 हे0 वनभूमि पर दो 65 मीटर उँचे टावर की स्थापना हेतु अनुसंसा भेजा गया । भारत सरकार (भुवनेश्वर) कार्यालय ने प्रस्ताव पर आवश्यक निदेश प्राप्त करने हेतु दिल्ली प्रेषित किया है । मुख्य वन संरक्षक, (केन्द्रिये) भुवनेश्वर से ज्ञात हुआ है कि पूर्व में इसकी स्वीकृति नई दिल्ली द्वारा दी गई थी । इसलिये उनके द्वारा वर्तमान प्रस्ताव को भी नई दिल्ली स्वीकृति के लिये भेजा गया । | भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 2 | राजा उलातू (राँची) से सीपत (छत्तीसगढ़) तक 400 के0बी0 ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु | 20.901 हे0 | राँची पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 5. जे.एच.सी.020/2006 बी. एच. यु. दिनांक 03.05.07 द्वारा कुल 16 शर्तों के साथ स्टेज-।। स्वीकृति प्राप्त । | शर्तों का अनुपालन हो चुका है । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 36/06-738 दिनांक 05.03.2008 द्वारा वनभूमि विमुक्त करने का आदेश प्राप्त । |
| 3 | मैथन (रूपनारायणपुर, पश्चि बंगाल) से राँची (राजा उलातू तक) | 19.596 हे0 | राँची पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 5. जे.एच.सी./021/2006 बी. एच.यु. दिनांक 18.04.07 द्वारा कुल 12 शर्तों के साथ स्टेज-।। स्वीकृति प्राप्त । | स्टेज-।। के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2877 दिनांक 13.06.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया । |
| 4 | 400 के वी राँची से सिपथ द्वितीय चरण ट्रांसमिशन लाईन निर्माण (पावर ग्रिड ऑफ इंडिया) | 12.537 हे. | गुमला वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 5. जे.एच.सी./022/2007 बी. एच.यु. दिनांक 20.07.07 द्वारा कुल 8 शर्तों के साथ स्टेज-। स्वीकृति प्राप्त । स्टेज-1 के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 22 पी - 3(3) 9/06 - 5209 दिनांक 06.11. | शर्तों का अनुपालन हो चुका है । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 01/07-741 दिनांक 05.03.2008 द्वारा वनभूमि विमुक्त करने का आदेश प्राप्त । |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | 2007 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया । राज्य सरकार के पत्रांक वन भूमि 01/2007-6202व.प. रॉची दिनांक 03.12.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | |
| 5 | 400 के.वी. डी/सी दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) से जमशेदपुर (झारखण्ड) ट्रान्समिशन लाईन | 0.235 हे.-जंगल झाड़ी | धालभूम वन प्रमंडल | वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1979 दिनांक 08.06.07 द्वारा प्रस्ताव को जांचोपरान्त वन संरक्षक, सिंहभूम राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर को अग्रसारित कर दिया है । | वन संरक्षक के स्तर पर लंबित । |
| 6 | 400 के.वी. डी/सी रॉची से राउरकेला ट्रान्समिशन लाईन निर्माण (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया) | 3.582 हे0 (0.435 हे0 सुरक्षित वन 3.157 हे0 जंगल झाड़ी) | सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा | समर्पित प्रस्ताव में अंकित 2 प्लॉट जो जंगल-झाड़ी अंकित गैर मजरूआ भूमि के रूप में वर्णित है वस्तुतः जांचोपरान्त अधिसूचित वन भूमि पाया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण से संशोधन के पश्चात प्रस्ताव समर्पित करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी सिमडेगा, के पत्रांक 590 दिनांक 31.03.07 द्वारा लिखा गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित है । |
| 7 | गम्हरिया (जमशेदपुर) से बारीपदा 400 के भी ट्रांसमिशन लाईन | 54.398 हे0 | सरायकेला वन प्रमंडल | प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 22 पी 3(3)10/2007-3956 दिनांक 13.08.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

एयर फोर्स से संबंधित परियोजना –प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | एयर फोर्स स्टेशन, सिगांरसी, जिला-पाकुड़ का 11 के.बी.ए. लाईन को 33 के.बी.ए. में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव | .429 हे. | पाकुड़ वन प्रमंडल | वन विभागीय पत्र संख्या वन भूमि - 10/2006-1177 व.प. दिनांक 17.03.06 द्वारा 5 शर्तों के साथ अपयोजन स्वीकृत । पुनः वन विभागीय पत्र संख्या 1342 दिनांक 24.03.06 द्वारा एन.पी.भी. की राशि वसूल कर कार्यानुमति देने का निदेश प्राप्त । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.भी. के मद में 3,41,287 रूपयें जमा किया गया है । | राज्य सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में वन संरक्षक दुमका को कार्यानुमति देने का निदेश दिया गया है । |
| 2 | एयर फोर्स रेडार स्टेशन, सिगांरसी, । | 5.20 हे0 | वन प्रमंडल पाकुड़ | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित है, जिसकी समीक्षा प्रमंडलीय स्तर पर की जा रही है । | |

रेलवे परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना का नाम | अपयोजित की जाने वाली वन भूमि (रकवा हे० में) | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कोडरमा-पद्मा रेलवे लाईन | अधिसूचित वन भूमि- 38.586 हे. जंगल झाड़ी - 54.386 हे. कुल - 92.972 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्र संख्या 8-48/2001 एफ.सी. दिनांक 07.03.2002 द्वारा औपचारिक स्वीकृति (स्टेज- II) प्राप्त। | संघोधित बकाया राशि एवं स्टेज-2 के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त रहने के कारण राज्य सरकार से वनभूमि विमुक्ति का आदेश लंबित है। ५ |
| 2 | पद्मा - हजारीबाग रेलवे लाईन | अधिसूचित वन भूमि-180.622 हे. जंगल झाड़ी - 055.258 हे. कुल- 235.880 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8-89/2002 एफ.सी. दिनांक 8/9 मई, 2003 द्वारा औपचारिक (स्टेज - II) स्वीकृति प्राप्त। | एन.पी.भी. की संघोधित बकाया राशि जमा नहीं करने एवं स्टेज -2 के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त रहने के कारण राज्य सरकार से वनभूमि विमुक्ति का आदेश लंबित है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.09.2007 की कंडिका 2 के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक 4256 दिनांक 27.12.2007 द्वारा बकाया राशि जमा करने तक सभी कार्य बंद करने का आदेश निर्गत। |
| 3 | हजारीबाग - बड़का काना, रेलवे लाईन | अधिसूचित वन भूमि-276.137 हे. जंगल झाड़ी - 040.315 हे. कुल- 316.452 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल /हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-44/ 2003 एफ.सी. दिनांक 01.04.2004 द्वारा औपचारिक स्वीकृति (स्टेज - II) प्राप्त। | स्टेज-2 के शर्त संख्या 4,5,6 एवं 9 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा वन भूमि विमुक्ति का आदेश संसूचित, परन्तु भारत सरकार का पत्र दिनांक 25.09.2007 की कंडिका - 2 के आलोक में बकाया राशि जमा करने तक सभी कार्य बंद करने का आदेश वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक 4255 दिनांक 27.12.2007 द्वारा निर्गत। |
| 4 | बड़काकाना - राँची रेलवे लाईन | अधिसूचित वन भूमि-346.690 हे. जंगल झाड़ी - 026.970 हे. कुल - 373.660 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल (वर्तमान में रामगढ़ वन प्रमण्डल)/ राँची पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक एफ. न० 8-131/2003 एफ सी दिनांक 18.07.07 द्वारा स्टेज-2 प्राप्त हुआ। | राज्य सरकार के पत्रांक 833 दिनांक 2.10.2007 द्वारा वनभूमि विमुक्ति का आदेश प्राप्त। |
| 5 | कोडरमा - तिलैया (नवादा) रेलवे लाईन | 101.445 हे. | कोडरमा वन प्रमण्डल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 152 दिनांक 22.02.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को प्रेषित किया गया। | संघोधन प्रस्ताव अप्राप्त। |

| क्र. स. | परियोजना का नाम | अपयोजित की जाने वाली वन भूमि (रकवा हे० में) | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 6 | देवघर – दुमका रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि– 03.720 हे. जंगल झाड़ी – 12.450 हे. कुल – 16.170 हे. | देवघर वन प्रमण्डल देवघर / दुमका वन प्रमण्डल 9.62 हे०/6.56 हे० | भारत सरकार, के पत्रांक 12–(26)5/2003– एफ.सी.ई. दिनांक 19.07.2006 द्वारा 13 शर्तों के साथ स्टेज–I। प्राप्त। | राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 38/03 – 3471 दिनांक 17.07.07 द्वारा भूमि रीलीज का आदेश दिया गया। |
| 7 | देवघर – सुल्तानगंज रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि – . जंगल झाड़ी – . कुल – 4.59 हे. | देवघर वन प्रमंडल, देवघर। | भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा उनके पत्रांक 12 (26)4/2003 एफ0सी0ई0 दिनांक 24.12.2007 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छायें की गई जिसका अनुपालन कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 98 दिनांक 31.01.2008 द्वारा भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को भेजा गया। | भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के विचाराधीन। |
| 8 | कोडरमा – गिरिडीह रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि–125.514 जंगल झाड़ी – 97.449 कुल – 222.87 गिरिडीह वनरोपण व. प. 79.27 हे. गिरिडीह वन प्रमण्ड 119.60 हे. कोडरमा वन प्रमण्डल 24.00 हे. कुल – 222.87 हे. | गिरिडीह वन प्रमण्डल गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल कोडरमा वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8–90/03 एफ.सी. दिनांक 3.5.05 द्वारा 222.87 हे. वनभूमि के अपयोजन की औपचारिक स्वीकृति (स्टेज–I) दी गई। | राज्य सरकार के पत्रांक 1777 दिनांक 3.04.2007 द्वारा वनभूमि विमुक्ति का आदेश प्राप्त। |
| 9 | मेदार हिल से दुमका रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि– 091.88 ए. जंगल झाड़ी – 073.76 ए. गैर मजरूआ भूमि पर वनरोपण क्षेत्र – 020.17 ए. कुल – 185.81 ए. या (75.226 हे.) | दुमका वन प्रमण्डल | 1. भारत सरकार के पत्रांक 8–150/2002 एफ.सी. दिनांक 3.2.2005 द्वारा कुल 17 शर्तों पर औपचारिक स्वीकृति (स्टेज–I) प्राप्त। | फलौरा एवं पौना की सुरक्षा एवं विकास के शर्त पर राज्य सरकार के पत्रांक 7119 दिनांक 17.12.2005 द्वारा वनभूमि विमुक्ति का आदेश निर्गत। |
| 10 | लोहरदगा से टोरी रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि–183.764 ए. जंगल झाड़ी – 036.830 ए. कुल – 220.594 ए. या (89.336 हे.) | लातेहार वन प्रमण्डल / रौंची पश्चिमी वन प्रमण्डल लोहरदगा | भारत सरकार के पत्रांक 8–119/2003– एफ.सी. दिनांक 16.3.2006 द्वारा 18 शर्तों पर औपचारिक स्वीकृति (स्टेज–I) प्राप्त। | राज्य सरकार के पत्रांक 2095 दिनांक 08.05.2006 द्वारा स्टेज – 2 के शर्तों के अनुपालन हेतु प्रयोक्त अभिकरण से बचनबद्धता प्राप्त करने के शर्त के साथ वनभूमि विमुक्ति का आदेश प्राप्त। |
| 11 | दुमका–रामपुर हाट रेलवे लाइन | अधिसूचित वन भूमि– 51.927 हे. जंगल झाड़ी – 3.449 हे. कुल – 55.376 हे. | दुमका वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8–35/07 एफ0सी0 दिनांक 05.11.2007 द्वारा स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त। | शर्तों का अनुपालन रेलवे से अप्राप्त। |
| 12 | हजारीबाग से शिवपुर रेलवे लाइन | 168.112 हे. (जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि को सम्मिलित करके) | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल | प्रस्ताव को राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि – 31/07 – 5111 व.प. दिनांक 11.09.2007 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 471 दिनांक 30.05.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया। | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के स्तर पर विचाराधीन। |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित की जाने वाली वन भूमि (रकबा हे० में) | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|---|--|---|--|
| 13 | शिवपुर से टोरी तक नई बी जी रेलवे लाईन । | 209.814हे० | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/लातेहार वन प्रमण्डल | क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 476 दिनांक 31.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्तर पर विचाराधीन । |

मेसर्स सेल के विभिन्न खनन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित भूमि का रकबा (हे० में) | वन प्रमण्डल का नाम | अभ्युक्ति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--------------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मेसर्स सेल के किरीबुरु मेघाहातुबुरु खनन परियोजना लीज-।। | 55.9 हे० | सारण्डा वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-57/04 एफ.सी. दिनांक 11.04.2005 द्वारा कुल 16 शर्तों के साथ स्टेज- ।। की सहमति। शर्तों का अनुपालन अभी तक अप्राप्त । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 2 | मेसर्स सेल के किरीबुरु मेघाहातुबुरु खनन परियोजना लीज-।।। | 24.23 हे० | सारण्डा वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-19/05 एफ.सी. दिनांक 11.04.2005 द्वारा कुल 16 शर्तों के साथ स्टेज- ।। की सहमति। शर्तों का अनुपालन अभी तक अप्राप्त । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 3 | लीज संख्या 1 के सेन्ट्रल ब्लॉक में ड्रिलिंग एवं एक्सप्लोरेशन कार्य की अनुमति | 101.00 हे० | सारण्डा वन प्रमण्डल | प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त किया गया है लेकिन पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा याचित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 156 दिनांक 19.04.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 4 | मेसर्स सेल (इस्को) मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरैया - बुद्धावुरु । | 379.228 हे. | सारण्डा वन प्रमण्डल | प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 223 दिनांक 22.03.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2604 दिनांक 31.05.07 द्वारा इस प्रस्ताव में त्रुटियों के निराकरण के लिये निदेश दिया गया है । | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 648 दिनांक 29.08.07 द्वारा क्षेत्रिय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर से त्रुटि निराकरण हेतु निर्देश दिया गया है । प्रतिवेदन अप्राप्त । |
| 5 | मेसर्स सेल गुवा अयस्क, खान- टोपाइलौर | 14.15 हे. | सारण्डा वन प्रमण्डल | प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 224 दिनांक 22.03.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2687 दिनांक 01.06.07 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित । | राज्य सरकार के विचाराधीन । राज्य सरकार द्वारा निम्न पृच्छायें की गई है (1) वन्य प्राणी संबंधि मंतव्य (2) स्थानीय निकाय का सहमति पत्र (3) माइनिंग विभाग का मंतव्य । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2766 दिनांक 22.07.2008 द्वारा राज्य सरकार को पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन भेजा गया । |
| 6 | मेसर्स सेल मनोहरपुर, लौह अयस्क, चिरैया-अजिताबुरु | 153.036 हे. | सारण्डा वन प्रमण्डल | प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 323 दिनांक 29.04.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2600 दिनांक 30.05.07 द्वारा इस प्रस्ताव में त्रुटियों के निराकरण के लिये निदेश दिया गया है । | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 578 दिनांक 27.07.07 द्वारा त्रुटियों के निराकरण हेतु क्षेत्रिय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर को निदेशित किया गया । प्रतिवेदन |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | अप्राप्त । |
| 7 | मेसर्स सेल किरीबुरु -मेघाहातुबुरु लौह अयस्क परियोजना के लीज - 1 (1936.06 हे0) | 247.50 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 226 हे0 दिनांक 15.03.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2541 दिनांक 01.07.2008 द्वारा राज्य सरकार के पृच्छा के आलोक में संशोधित पत्र राज्य सरकार को भेजा गया है । |
| 8 | मेसर्स सेल झिलींगबुरु - 1 (प्रोशपेक्टींग) | 178.416 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 845 दिनांक 07.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को जाँच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 9 | मेसर्स सेल दुर्गाईबुरु (प्रोशपेक्टींग) | 288.00 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 846 दिनांक 07.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को जाँच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 10 | मेसर्स सेल झिलींगबुरु - II (प्रोशपेक्टींग) | 21.482 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 847 दिनांक 07.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को जाँच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 11 | मेसर्स सेल धोबिल (प्रोशपेक्टींग) | 483.92 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 848 दिनांक 07.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को जाँच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 12 | मेसर्स सेल सुकुरु लुटु बुरु | 476.10 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 849 दिनांक 07.11.2007 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को जाँच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 13 | मेसर्स सेल मनोहरपुर सुकुरु लुटु बुरु नवीकरण प्रस्ताव । | 278.325 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जाँच हेतु वन प्रमंडल सारण्डा को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 115 दिनांक 05.02.2008 द्वारा भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 14 | मेसर्स सेल मनोहरपुर मेघाहातुबुरु । | 644.26 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जाँच हेतु वन प्रमंडल सारण्डा को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 122 दिनांक 06.02.2008 द्वारा भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 15 | मेसर्स सेल किरीबुरु करमपदा लीज-1 का नवीकरण प्रस्ताव । | 1936.06 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जाँच हेतु वन प्रमंडल सारण्डा को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 360 दिनांक 28.04.2008 द्वारा भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 16 | मेसर्स सेल द्वारा पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत मौजा धोबील अंकुआ आरक्षित वन में 7.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लौह अयस्क सर्वेक्षण की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव । | 700 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को मंतव्य हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, झारखण्ड राँची को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 531 दिनांक 23.06.2008 द्वारा भेजा गया । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, झारखण्ड राँची के स्तर पर विचाराधीन । |
| 17 | मेसर्स सेल के किरीबुरु मेघाहातुबुरु में डी जी प्लांट निर्माण के लिये प्रस्ताव । | कुल : 608.06 हे0 0.202 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | कुल अपयोजित 608.06 हे0 वनभूमि में से 0.202 हे0 में डी जी प्लांट निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के स्तर पर विचाराधीन । |

| | | | | | |
|----|--|-------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | | | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 549 दिनांक 01.07.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को अग्रसारित । | |
| 18 | मेसर्स सेल झिलींगबुरु - ।। नवीकरण प्रस्ताव । | 30.43 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जाँच हेतु वन प्रमंडल सारण्डा को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 562 दिनांक 03.07.2008 द्वारा भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 19 | मेसर्स सेल झिलींगबुरु - । नवीकरण प्रस्ताव । | 210.526 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जाँच हेतु वन प्रमंडल सारण्डा को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 563 दिनांक 03.07.2008 द्वारा भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |

भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्यूक्ति |
|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भारतीय खेल प्राधिकरण हेतु ग्राम करमाटॉड जिला हजारीबाग में गैर मजरुआ जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव | 19.3042 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 12(28)1/02/ दिनांक 10.12.2002 द्वारा कुल 8 शर्तों पर स्टेज-।। स्वीकृति प्रदान की गयी है। एन.पी.भी. की शेष राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। एन0पी0भी0 की राशि 1,11,96,436 रूपयें जमा करने का अनुरोध वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के कार्यालय पत्रांक 3715 दिनांक 21.11.06 द्वारा उपायुक्त हजारीबाग से किया गया है । यह मांग भारत सरकार के पत्र संख्या 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.06 के आलोक में किया गया है । अभी तक राशि जमा नहीं हुई है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 851 दिनांक 08.11.07 द्वारा निदेशक एस ए आई से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । |

भारतीय भू-सर्वेक्षण से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|------|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भारतीय भू-सर्वेक्षण कंकड़बाग, पटना । | 10000 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस क्षेत्र में 9 कि.मी. सड़क निर्माण तथा सर्वेक्षण हेतु गड्डो का प्रस्ताव है । दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप प्रपत्र 'ए' पार्ट-। में सूचना नहीं रहने के कारण कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 621 दिनांक 08.08.07 द्वारा उन्हें सुधार कर प्रपत्र भेजने का अनुरोध किया जाय । पुनरीक्षित प्रस्ताव अप्राप्त है । |
| 2 | मेसर्स मिनिरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड । | 1000 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1050 दिनांक 17.04.07 से राज्य सरकार को अग्रसारित । वन विभागीय पत्रांक 2740 दिनांक 07.06.07 द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के मंतव्य की मांग की गई है । मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 3899 दिनांक 09.08.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 3 | खनन एवं भूतत्व विभाग, घाटकुड़ी क्षेत्र (उप निदेशक भूगर्भ सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर) | 100 वर्ग कि.मी. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 5080 दिनांक 14.11.06 द्वारा की गई पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 622 दिनांक 08.08.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया । प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 19-एम-1(5) 38/06 4356 दिनांक 03.09.2007. द्वारा प्रस्ताव के संबंधित पृच्छा का जवाब राज्य सरकार को भेज दिया गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशांसित है । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 4 | बोकना क्षेत्र में भूतात्विक अन्वेषण एवं वेधन की अनुमति के संबंध में । | 100 वर्ग कि.मी. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 5078 दिनांक 26.10.06 द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृति की अनुशांसा के साथ अग्रसारित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 5 | भारतीय भू सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान , कुजू | 0.94 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल । | भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भूवनेश्वर द्वारा उनके पत्रांक 5-जे एच बी 056/2008 बी एच यू दिनांक 14.03.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । शर्तो का अनुपालन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी को कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 344 दिनांक | शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित है । |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | 17.04.2008 द्वारा सूचित किया गया है । | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|

यू0सी0आई0एल0 भारत सरकार का उपक्रम की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा के पक्ष में महलुडीह युरेनियम खनन परियोजना | 44.60 हे0 | सरायकेला वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 2906 दिनांक 15.06.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 3011 दिनांक 20.06.07 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 3 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है । कार्याकारी निदेशक के द्वारा पृच्छा के 1 बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक से मंतव्य देने का अनुरोध किया गया है । शेष बिन्दुओं पर प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिवेदन वांछित है । | भारत सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 2 | यू0सी0आई0एल0, बांदुडुरांग परियोजना (नरवापहाड़) | 130.82 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-138/03 एफ. सी. दिनांक 07.04.05 द्वारा स्टेज-11 स्वीकृति प्राप्त । वन विभागीय पत्र संख्या 5831 दिनांक 30.11.06 प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में कार्यादेश निर्गत बशर्ते खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा खनन पट्टे की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र संख्या यू0सी0आई0एल0/एन.डबल्यु.पी./एम.एल./01दिनांक 23.04.07 द्वारा प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण को सूचित किया गया है । नियमानुसार खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है । अब राज्य सरकार के स्तर से खनन पट्टे की स्वीकृति का आदेश निर्गत होना है । खनन पट्टे की स्वीकृति के संबंध में सूचना अप्राप्त, मामला खनन एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड सरकार के स्तर पर लंबित है । | राज्य सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के स्तर पर लंबित । |
| 3 | यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा | 13.672 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल | | प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु आवश्यक अभिलेख समर्पित करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम के पत्रांक 190, दिनांक 19.01.07 द्वारा अनुरोध किया गया है । |
| 4 | यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा | 6.37 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल | | भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को हस्तांतरण नहीं किया गया है । |

भारत संचार लिगम लिमिटेड, जमशेदपुर की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ऑप्टिकल फाइबर केबुल लाईन बिछाने हेतु- चक्रधरपुर-बन्दगांव | 1.8 हे0 | पोराहाट वन प्रमंडल, चाईबासा | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1789 दिनांक 05.04.2007 द्वारा प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित । | |

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, नवाडीह प्रखण्ड | अधि०वन भूमि- 3.6911 जंगल झाड़ी- 3.4760 कुल- 7.1671 हे. | बोकारो वन प्रमंडल | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक जे0 एच0 सी0 048/08-वी एच यू दिनांक 03.04.02008 द्वारा स्टेज - 1 प्राप्त । क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 346 दिनांक 19.04.2008 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 1640 दिनांक 28.04.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के लिये अनुरोध किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 2 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गोमिया प्रखण्ड | 0.81 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5-जे0 एच0 बी0 058/2008 दिनांक 08.04.2008 द्वारा स्टेज - 1 प्राप्त । क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 342 दिनांक 17.04.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के लिये अनुरोध किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 3 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, बलियापुर प्रखण्ड | 2.082 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा उनके पत्रांक 5-जे एच बी 051/2008 बी एच यू दिनांक 21.02.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । शर्तो का अनुपालन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 199 दिनांक 07.03.2008 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 1104 दिनांक 19.03.2008 द्वारा सूचित किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |

| | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|--|--|
| 4 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, टुण्डी प्रखण्ड | 26.958 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक जे0 एच0 सी0 052/08-वी एच यू दिनांक 22.04.02008 द्वारा स्टेज - 1 प्राप्त । क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 398 दिनांक 08.05.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के लिये अनुरोध किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 5 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कसमार, जरीडीह एवं पेटरवार प्रखण्ड | 12.37443 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के 1211 दिनांक 28.03.2008 द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजा गया । भारत सरकार के पत्रांक जे एच सी 074/08-वी एच यू दिनांक 31.07.2008 द्वारा स्टेज -1 स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 673 दिनांक 11.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 6 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गोमिया प्रखण्ड | 18.8513 हे0 | बोकारो वन प्रमंडल | प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के 1210 दिनांक 28.03.2008 द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजा गया । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 7 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, चन्दबारा प्रखण्ड | 10.27087 हे0 | कोडरमा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 374 दिनांक 03.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को प्रेषित । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1719 दिनांक 06.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक जे एच सी 076/08-वी एच यू दिनांक 31.07.2008 द्वारा स्टेज -1 स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 676 दिनांक 11.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 8 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कोडरमा प्रखण्ड | 28.9926 हे0 | कोडरमा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची का पत्रांक 1739 दिनांक 09.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 1991 दिनांक 13.06.2008 द्वारा भारत सरकार को अग्रसारित । 16.06.2008 के एस ए जी की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया । भारत सरकार के पत्रांक जे एच सी 077/08-वी एच यू दिनांक 31.07.2008 द्वारा स्टेज -1 स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 675 दिनांक 11.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को भेजा गया । | क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 9 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मरकच्चो प्रखण्ड | 23.915 हे0 | कोडरमा वन प्रमंडल | 16.06.2008 के एस ए जी की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2713 दिनांक 18.07.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------|--|--|
| 10 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गोमिया प्रखण्ड | 26.0479 हे० | बोकारो वन प्रमंडल | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 639 दिनांक 02.08.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को प्रेषित । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर विचाराधीन । |
|----|---|-------------|-------------------|--|--|

राज्य सरकार एवं उनके उपक्रम की लंबित परियोजनाएँ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दुमका से पाकुड़ विद्युत लाईन 132 के.बी. निर्माण परियोजना | 8.5239 | दुमका वन प्रमंडल | इस कार्यालय पत्रांक 2374 दिनांक 22.11.2006 द्वारा प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका को अग्रसारित किया गया । तत्पश्चात क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका ने अपने पत्रांक 2569 दिनांक 28.11.2006 द्वारा इस प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किया है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 426 दिनांक 31.05.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्ताव भेजा गया । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 84/07 - 6022 दिनांक 14.11.2007 द्वारा भारत सरकार, भुवनेश्वर को भेजा गया । राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति की मांग की गई है । | भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 2 | ललमटिया से साहेबगंज 132 के.बी. विद्युत लाईन का निर्माण परियोजना | 2.8856 हे० | साहेबगंज वन प्रमंडल | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक 5-जे०एच०बी० 033/07-वी एच यू दिनांक 22.02.08 द्वारा स्टेज-2 स्वीकृति प्राप्त । | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 169 दिनांक 27.02.2008 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों का अनुपालन हेतु सूचित किया गया है । |
| 3 | 400 के.वी. ट्रान्समिशन लाईन निर्माण जमशेदपुर से बारीपदा | 12.579 हे. | सरायकेला वन प्रमंडल | | आवश्यक जॉचोपरान्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल के पत्रांक 554, दिनांक 31.03.2007 के द्वारा वन संरक्षक सिंहभूम राजकीय व्यापार अंचल को अग्रसारित किया गया |
| 4 | पावर सवरेजेशन, सरायकेला की स्थापना । झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ग्राम - शहरबेड़ा । | 10.39 डीसमिल | सरायकेला वन प्रमंडल | प्रस्ताव को समीक्षा के लिये वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 477 दिनांक 21.06.07 द्वारा भेजा गया है ।अपयोजन वन्य प्राणी प्रमंडल के दलमा आश्रयणी से संबंधित है । प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा नहीं जा सकता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं है । | |
| 5 | दलमा वन (132/33 के. बी. चांडिल ग्रिड से 30/11 के. बी.) से 33 के. बी. लाईन बिछाने हेतु | 0.9586 एकड़ | वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी अंचल, राँची । | यह लाईन आश्रयणी से गुजरता है । अतः प्रपोजल समर्पित करने के पूर्व स्टैंडिंग कमिटी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाईफ से अनुमति लेना आवश्यक । इस आशय की सूचना देते हुए प्रस्ताव को विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, जमशेदपुर को कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 158 दिनांक 06.03.07 द्वारा लौटाया गया है । | |
| 6 | इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड घाटशिला | | धालभूम वन प्रमंडल | | प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| ट्रांशमिशन लाईन | | | | निदेशक से प्रस्ताव दिनांक 02.06.07 को प्रमंडल में प्राप्त है । कार्रवाई की जा रही है । |
|-----------------|--|--|--|--|

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपर्योजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मानगो शहरी जलापूर्ति योजना | 1 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 5-जे.एच.बी. 009/05-बी.एच.यू. 20.02.2008 द्वारा स्टेज-2 की स्वीकृति मिली है । | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापक 198 दिनांक 07.03.08 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पत्र अनुपालन हेतु दिया गया । |
| 2 | रजरप्पा ग्रामीण स्वच्छ जल आपूर्ति योजना । | 0.223 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल । | 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1779 दिनांक 04.04.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित । 2. राज्य सरकार के पत्रांक 2186 दिनांक 03.05.06 द्वारा लागत लाभ विश्लेषण तथा टोपोशीट की मूल प्रति की मांग की गई । | राज्य सरकार द्वारा की गई पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या. 603 दिनांक 03.08.07 द्वारा भेज दिया गया है । |

गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची की खण्ड पीठ दुमका स्थापना । | 5.83 हे० | वन प्रमंडल, दुमका | भारत सरकार की स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त है । उपयोग कर्ता द्वारा शर्तों के अनुपालन में 47,69,307/- देय है जो उपयोग कर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 2 | आरक्षी केन्द्र निर्माण मौजा-बदला, लोहरदगा । | 3.279 हे. | लोहरदगा वन प्रमंडल | प्रस्ताव नये प्रपत्र में भेजने हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 536 दिनांक 13.07.07 इस कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों से पत्राचार किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण स्तर पर लंबित। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 3 | आयुक्त एवं पुलिस महा निरीक्षक, चाईबासा । | 8.58 एकड़ | चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2021 दिनांक 17.05.2006 द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग प्रयोक्ता अभिकरण से की गई है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 4 | पुलिस वाच टावर पतकी जंगल । | 0.73 हे. | लातेहार वन प्रमंडल पदाधिकारी | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय पत्रांक 880 दिनांक 19.02.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 14 /07 - 4054 दिनांक 24.08.07 द्वारा भारत सरकार (भुवनेश्वर) को भेजा गया । भारत सरकार, भुवनेश्वर का पत्रांक 5-जे एच बी 037 /2007 - बी एच यू दिनांक 01.10.2007 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । स्टेज-1 के शर्तों के अनुपालन के क्रम में वन प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 2750 दिनांक 01.11.07 द्वारा पुलिस अधीक्षक से रुपये 9,02,048 जमा करने का अनुरोध किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 5 | पुलिस वाच टावर अमझरिया प्यारी जंगल । | 0.94 हे. | लातेहार वन प्रमंडल पदाधिकारी | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय पत्रांक 850 दिनांक 19.02.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 13/2007 - 4055 दिनांक 24.08.07 द्वारा भारत सरकार (भुवनेश्वर) को प्रस्ताव भेजा गया । भारत सरकार, भुवनेश्वर का पत्रांक 5-जे एच बी 036 /2007 - बी एच यू दिनांक 03.10.2007 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । स्टेज-1 के शर्तों के अनुपालन के क्रम में वन प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 2751 दिनांक 01.11.07 द्वारा पुलिस अधीक्षक से रुपये 6,69,733 जमा करने का अनुरोध किया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 6 | अनुमण्डलीय उपकारा हुसैनावाद- आवासीय परिसर निर्माण । | 2.40 एकड़ | वन प्रमंडल पदाधिकारी, डालटनगंज उत्तरी | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक-1729, दिनांक-19.4.2006 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी से कर्णांकित गैर वनभूमि की जाँच कर/ अतिक्रमण मुक्त एवं आधिभार मुक्त प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवेदन भेजने हेतु पत्र दिया गया है । | क्षेत्रीय स्तर पर लंबित। |

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|--|
| 7 | अनुमण्डलीय उपकारा हुसैनावाद- निर्माण । | 9.60 एकड़ | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज उत्तरी | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक-2242, दिनांक-2.6.2006 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी से चयनित गैर वनभूमि की स्थलीय जाँच कर/ अतिक्रमण मुक्त एवं आधिभार मुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु पत्राचार किया गया है। | क्षेत्रीय स्तर पर लंबित। |
| 8 | जवाहर नवोदय विद्यालय, पोखराहाखुर्द । | 33 एकड़ | डालटनगंज उत्तरी प्रमंडल | प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 3564 दिनांक 18.08.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा गया । भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर पृच्छायें की गई है जिसका जबाव कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 470 दिनांक 19.06.07 द्वारा पूर्वी कार्यालय, भुवनेश्वर को भेज दिया गया है । | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, भारत सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 9 | आयुक्त संधाल परगना प्रमंडल, दुमका के आवासीय परिसर विस्तार । | 0.40 | दुमका वन प्रमंडल | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, ने अपने पत्रांक 708 दिनांक 13.04.2007 द्वारा प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड को भेजा गया है । प्रस्ताव में कई त्रुटियां पाई गई यथा पार्ट-2 पार्ट-3 पार्ट-3ए में अद्यतन प्रविष्टी नहीं कि गई थी । अभिलेख भी पूर्ण रूप से नहीं दिये गये थे । अतःइसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 493 दिनांक 28.06.07 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका को प्रस्ताव लौटाया गया है । | |
| 10 | अन्तराज्यीय स्वचलित चेकपोस्ट का निर्माण । | 1.30 एकड़ | धनवाद वन प्रमंडल | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 171 दिनांक 27.02.2008 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को भेजा गया । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 435 दिनांक 20.05.2008 द्वार वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद को नयो प्रपत्र मे प्रस्ताव की मांग की गई है । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 11 | रामगढ़ समाहरणालय निर्माण हेतु गैरमजरूआ भूमि अपयोजन प्रस्ताव । | 51.61 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 232 दिनांक 18.03.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को भेजा गय । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के स्तर पर विचाराधीन । |

उद्योग विभाग से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1980 के पूर्व आयडा के पक्ष में मुक्त की गई भूमि जिसका डिनोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, को आयडा के पक्ष में मुक्त करने के संबंध में । | 236.78 ए० | चाईबासा उत्तरी (सरायकेला) वन प्रमंडल | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/2007 एफ सी दिनांक 20.02.07 द्वारा 6 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का जवाब वन विभागीय पत्र संख्या 2209 दिनांक. 03.05.06 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 2 | 1980 के पूर्व आयडा के पक्ष में मुक्त की गई भूमि जिसका डिनोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, को आयडा के पक्ष में मुक्त करने के संबंध में । | 1200.09 ए० | चाईबासा उत्तरी (सरायकेला) वन प्रमंडल | एफ सी एक्ट 1980 के प्रभावी होने के पूर्व आयडा को हस्तान्तरित 1200.09 एकड़ वनभूमि के डिनोटिफाई करने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग हेतु राज्य सरकार के पत्रांक 3260 दिनांक 05.07.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के स्तर पर लंबित । |
| 3 | आदित्यपुर टॉल ब्रिज कम्पनी का मौजा-भाटिया, थाना-सरायकेला, थाना संख्या 127 में वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव | 1.94 हे. | चाईबासा उत्तरी (सरायकेला) वन प्रमंडल | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5- जे० एच० बी० 018/2006 - बी एच यू दिनांक 18.09.2007 से 16 शर्तों पर स्टेज -11 प्राप्त । कार्यकारी निदेशक पत्रांक 877 दिनांक 23.11.07 द्वारा प्रबंध निदेशक आयडा, जमशेदपुर को शर्तों का अनुपालन हेतु पत्राचार किया गया । समतुल्य गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में मुटेशन कराना तथा उसे पी एफ तथा आर एफ में अधिसूचित करना और अपयोजित वनभूमि के बाहरी सीमा पर चार फीट आर सी सी पीलर (बैक वियरींग तथा फॉर वियरींग के साथ) का निर्माण मुख्य शर्तों में है । | स्टेज - II के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग क्षेत्र से किया जा रहा है । क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 877 दिनांक 23.11.2007 द्वारा प्रबंध निदेशक, आयडा से किया गया है । |

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि. के विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा (हे. में) | वन प्रमण्डल का नाम | भारत सरकार की स्वीकृतादेश एवं तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बेती-बगदा चूना पत्थर खनन परियोजना | 9.07 हे. | रॉंची पूर्वी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 10-190/एफ.सी.ई. दिनांक 12.07.2005 द्वारा कुल 11 शर्तों के साथ स्टेज-2 की स्वीकृति | वन विभागीय पत्र संख्या व.भू. 70/2000-4522 दिनांक 15.09.06 द्वारा 2 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का जबाव कर्त्याकारी निदेशक के पत्र संख्या 416 दिनांक 30.05.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजते हुये कार्यादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि70/2000-5630 दिनांक 30.07.07 द्वारा वनभूमि मुक्ति का आदेश निर्गत । |
| 2 | चंदौला-सिमलगोड़ा पत्थर खनन परियोजना | 19.769 हे. | सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, साहेबगंज | इस कार्यालय के पत्रांक 1667 दिनांक 08.04.2004 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित । | स्टेज 1 स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वन विभागीय पत्र संख्या 2736 दिनांक 06.06.2007 द्वारा पूर्वी क्षेत्रिय कार्यालय, भुवनेश्वर को भेजा गया है । भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रिय कार्यालय, भुवनेश्वर के पत्रांक 5 जे एच सी 030/2007 - वी एच यू दिनांक 25.02.2008 से की गई पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन भारत सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक 2745 दिनांक 19.07.2008 से भेजते हुए वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया जायेगा । |
| 3 | जगलदगा कोयला खनन परियोजना | अधि वन -14.286 हे जंगल-झाड़ी 13.805 कुल = 28.091 हे0 | लातेहार वन प्रमण्डल | प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रिय कार्यालय, भुवनेश्वर के पत्रांक 5 जे एच बी 054/2008 - वी एच यू दिनांक 02.04.2008 से तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई । निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 4 | सिकनी कोयला खनन के विस्तार संबंधी प्रस्ताव । | 46.986 हे. | लातेहार वन प्रमण्डल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 22पी-2(2)2004-3576 दिनांक 23.07.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि -22 /07 - 5879 व.प. दिनांक 01.11.2007 द्वारा भारत सरकार, भुवनेश्वर को प्रेषित । प्रति भारत सरकार नई दिल्ली को दी गई । | भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रिय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा भारत सरकार को दिनांक 30.11.2007 को भेजा गया है क्योंकि पूर्व में भारत सरकार द्वारा 19.83 हे0 वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति दी गई थी । |

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा (हे. में) | वन प्रमण्डल का नाम | भारत सरकार की स्वीकृति एवं तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| 5 | विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना | 94.54 हे. | डालटेनगंज उत्तरी प्रमंडल | | इस प्रस्ताव में वन भूमि के साथ गैर वन भूमि में सम्मिलित है। प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि का विवरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। वन संरक्षक, पश्चिमी अंचल, मेदिनीनगर ने परियोजना पदाधिकारी श्री संजय कुमार को दिनांक 04.06.2007 को प्रस्ताव में त्रुटियों से अवगत कराते हुये इसके निराकरण हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक ने वन प्रमंडल पदाधिकारी डालटेनगंज उत्तरी वन प्रमंडल को प्रस्ताव के भाग 2 कॉलम 11 एवं 13 में वन प्रमंडल पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसंशा अंकित करने हेतु अपने पत्रांक 1110 दिनांक 05.06.2007 द्वारा निर्देश दिया है। |
| 6 | दुमका ग्रेनाइट मंडलडीह | 4.25 हे. | दुमका वन प्रमंडल | | जिला खनन पदाधिकारी दुमका के पत्रांक संख्या 2123 दिनांक 21.09.2006 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनापत्ति की मांग की गयी थी। प्रश्नगत भूमि खतियान में पहाड़ के रूप में दर्ज है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय पत्रांक 3394 दिनांक 01.12.2006 द्वारा सूचित किया गया है कि उस भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रस्ताव लागू होंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका का यह मंतव्य गलत है। उस संबंध में महाप्रबंधक (खान) का पत्रांक 352 दिनांक 17.02.2007 द्वारा उपसचिव, खान को सूचित किया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका का मंतव्य उचित नहीं है। महाप्रबंधक (खान) के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है। इस क्षेत्र में खनन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 484 दिनांक 22.06.07 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है। |
| 7 | दुमका ग्रेनाइट पूरबपट्टी | 3.38 हे. | दुमका वन प्रमंडल | | वन प्रमंडल पदाधिकारी दुमका ने अपने कार्यालय पत्रांक 3378 दिनांक 30.11.06 से जिला खनन पदाधिकारी को सूचित किया है |

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा (हे. में) | वन प्रमण्डल का नाम | भारत सरकार की स्वीकृतादेश एवं तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|--|--|-------------------------|--|---|
| | | | | | कि उस क्षेत्र में खनन करने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होंगे जो मान्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि खतियान में 'पहाड़' के रूप में दर्ज है। महाप्रबंधक (खान) के पत्र संख्या 351 दिनांक 07.02.2007 द्वारा उपसचिव खान एवं भूतत्व से अनुरोध लिया है कि खनन पट्टे की स्वीकृति दी जाय। खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 484 दिनांक. 22.06.07 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है। |
| 8 | पूर्वी सिंहभूम, तांबा (चपटी-सिद्धेश्वर) | 1458.03 हे. | धालभूम, वन प्रमंडल | | एन.ओ.सी. गवेषण हेतु मांगा गया है। गवेषण के लिये भी विहित प्रपत्र में प्रस्ताव देना आवश्यक है जो प्राप्त नहीं है। प्रस्तावित भूमि अधिसूचित वन भूमि है। |
| 9 | गुमला, बाक्साइट, चैनपुर | 48.90 हे. | गुमला वन प्रमंडल | | - वही - |
| 10 | महुकगोई - तुलबुला - तमदागा-टाटी खनन पट्टा, नवीकरण प्रस्ताव | 94.54 हे0 | डालटनगंज उत्तरी प्रमंडल | प्रस्ताव से संबंधित वांछित अभिलेख/ सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। | |
| 11 | सुगीया कोल प्रोजेक्ट | 21.18 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2514 दिनांक 28.06.08 से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन। |
| 12 | सिरवाँय कायनाइट | 38.881 हे0 एवं 1.870 हे0 सेपटीजोन | धालभूम वन प्रमंडल | खनिज विकास निगम के पत्र संख्या 611 दिनांक 11.07.08 द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का प्लॉट वार रकबा दिया गया है परन्तु वनभूमि के अतिरिक्त गैर मजरूआ भूमि एवं रैयती भूमि के किस्म जमीन की सूचना नहीं दी गई है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (एन0आर0ई0पी0) से संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | पनसुआ कुटुपी पथ का उन्नयन | 1.853 हे. | पोड़ाहाट प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त। प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के वन कार्यालय पत्रांक 238 दिनांक 12.01.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। विभागीय पत्र संख्या 1809 दिनांक. 04.04.06 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्र संख्या 5-जे.एच.बी.026/2007- बी.एच.यू. दिनांक 09.07.07 द्वारा पृच्छा की गई है कि सी ई सी का इस मामले में क्या निर्णय है। कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 672 दिनांक .28.08.2007. द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम से सूचना की मांग की गई है। |

पथ निर्माण से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | घाघरा विशुनपुर नेतरहाट पथ चौड़ीकरण | 6.6571 हे. | लोहरदगा वन प्रमंडल | कार्यपालक अभियन्ता गुमला द्वारा समतुल्य गैर वनभूमि का प्रस्ताव जनवरी 2008 में उपलब्ध कराया गया है। उक्त भूमि पर वनरोपण कार्य की उपयुक्तता की जांच क्षेत्रीय स्तर पर की जा रही है तत्पश्चात प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा। | |
| 2 | चक्रधरपुर- सोनुआ - गोयलकेरा- मनोहरपुर पथ (0-50 मि0मी0 एवं 51 - 84.456 मि0मि0) | | पोराहाट वन प्रमंडल | यह पथ दो वन प्रमंडलों से गुजरता है। पोराहाट वन प्रमंडल में पूर्व से निर्मित वन पथ में 2.3 कि.मी. की लम्बाई में कालीकरण की अनुमति दी जा चुकी है। इसी प्रकार 9.1 कि.मी. पूर्व से निर्मित वन पथ की कालीकरण की अनुमति वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल के पत्रांक 2142 दिनांक 11.12.2007 से दी जा चुकी है। (प्रति संलग्न अनु0-1) पूर्व से निर्मित पथ की चौड़ाई 3.05 मीटर है। कोल्हान वन प्रमंडल में 10.5 मीटर चौड़ाई के पथ निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव में त्रुटियां रहने के कारण इसके निराकरण करने के लिये वन प्रमंडल पदाधिकारी कोल्हान वन प्रमंडल ने अपने कार्यालय पत्रांक 2074 दिनांक 22.11.2007 से कार्यापालक अभियन्ता पथ निर्माण से अनुरोध किया गया है। (प्रति संलग्न अनु0-2)। अनुपालन प्रतिवेदन आप्राप्त है। | |
| 3 | हाट गम्हरिया - जगन्नाथपुर - बड़ाजामदा - बराईबुरु पथ | | चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल | उस पथ के किनारे स्थित वृक्षों का पातन किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिणी ने पातन हेतु अपने प्रमंडल के कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया है तथा पातन की अनुमति दे दी गयी है। चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल में 6209 वृक्ष हैं। | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | सारंडा वन प्रमंडल के वृक्षों की गणना सूची तैयार हो चुकी है । पथ निर्माण विभाग के अनुसार 44 वृक्षों की कटाई करनी है । गणना सूची में 126 वृक्ष पाये गये हैं । 126 वृक्षों के पातन का आदेश वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा 01.06.2007 को दिये जा चुका है । पातन प्रारम्भ नहीं हुआ है । पातन/परिवहन पथ निर्माण द्वारा लिया जाना है। | |
| 4 | मनोहरपुर – जरायकेला | | सारंडा वन प्रमंडल | 3.05 मीटर चौड़ाई कालीकरण की अनुमति वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा द्वारा दी जा चुकी है । पूर्ण चौड़ाई 10.5 मीटर के लिये वृक्षों की गणना सूची संयुक्त रूप से कराने का अनुरोध किया गया है जो आप्राप्त है । | |
| 5 | तिसरी – थान सिगडीह – कौवाकोल पथ | | गिरीडीह वन प्रमंडल | अभी तक अपयोजित होनेवाले वनभूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस कारण प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । | |
| 6 | कुटमू-गारू-महुआडांड | | लोहरदगा वन प्रमंडल | प्रश्नगत पथ पलामू ब्याघ्र योजना, भेड़ीया आश्रयणी एवं बेतला नेशनल पार्क से गुजरता है अतः भारत सरकार के पत्रांक एफ न0 6-74/2007 डब्लु एल 1 दिनांक 07.12.2007 से उक्त पथ के कालीकरण हेतु स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्डलाइफ से अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक झारखण्ड को निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचानाओं के साथ प्रस्ताव प्राप्त कर भेजने का अनुरोध किया गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक ने बताया है कि सूचनाओं का संकलन किया जा रहा है एवं दिनांक 30.01.2008 तक तत्संबंधी प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा । | |
| 7 | ढाब-पीहरा-सतगांवा पथ | 20.575 हे० | कोडरमा वन प्रमंडल | महेशपुर ढाब पथ 10 फीट चौड़ा पीच रोड पूर्व से निर्मित है, परन्तु रोड के चौड़ीकरण के क्रम में मिट्टी कटाई एवं फिलींग का कार्य क्रमशः 45 फीट 42 फीट एवं 78 फीट चौड़ाई में संयुक्त निरीक्षण के क्रम में पाई गई है जो नियमानुकूल नहीं है । वन संरक्षक हजारीबाग एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है । वर्तमान चौड़ाई 20 फीट है । 18 फीट चौड़ाई में पी.सी.सी. तथा 2 फीट फ्लैक के निर्माण पर सहमति वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल द्वारा की गई है । इससे इतर कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव समर्पित किया जाना होगा । | |
| 8 | भैरवी नदी (रजरप्पा के समीप) आर्च पुल का निर्माण । | 2.98 हे० अब 2.8437 हे० | रामगढ़ वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 245 दिनांक 19.03.2008 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार भुवनेश्वर को भजा गया । | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार भुवनेश्वर के स्तर पर विचाराधीन । |
| 9 | कारामात से ष्षमषान घाट रोड खोरही तक | 0.10 हे० | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 560 दिनांक 03.07.2008 द्वारा कार्य प्रगति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची को भेजा गया । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची के स्तर पर विचाराधीन । |

पर्यटन विभाग से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. स. | प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रजरप्पा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन विभाग का प्रस्ताव। | 2.43 हे. | तत्कालीन हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल (वर्तमान में रामगढ़ वन प्रमंडल) | भारत सरकार के पत्रांक 5-जे.एच.बी.-010/2005-बी.एच.यू. दिनांक 09.12.2005 द्वारा स्टेज-2 प्राप्त। स्टेज-2 के शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से अप्राप्त। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 2 | आकर्षिणी पहाड़ सौंदर्यीकरण | 4.05 हे0 | सरायकेला वन प्रमंडल, | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1747 दिनांक 02.04.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 32/2007 - 5003 दिनांक 30.08.07 द्वारा भारत सरकार (भुवनेश्वर) को भेजा गया। | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5 जे एच बी 038/2007 - बी एच यू दिनांक 09.10.2007 द्वारा 4 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। |
| 3 | बाघमुंडा पर्यटन स्थल | 0.24 हे0 | गुमला वन प्रमंडल, गुमला | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक 5-जे.एच.बी.-050/2008-बी.एच.यू. दिनांक 22.02.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त। कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 212 दिनांक 10.03.08 द्वारा अनुपालन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों का सूचित किया गया। | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के स्तर पर विचाराधीन। |
| 4 | आंजन धाम विकास परियोजना। | 0.48 हे0 | गुमला वन प्रमंडल, गुमला | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक 5-जे0एच0बी0 047/2007 - बीएचयू दिनांक 23.01.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के पत्रांक 1889 दिनांक 16.05.2008 द्वारा शर्तों का अनुपालन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रॉंची को भेजा गया। | क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अनुपालन हेतु सूचित किया गया। |
| 5 | बेतला बरवाडीह स्थित नया पलामू किला के पुरातात्विक संरक्षण एवं जीर्णोद्धार। | | ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज, मेदिनीनगर। | केन्द्रीय प्राधिकृत समिति के पत्रांक 1-19/सी0 ई0 सी /एस0 सी0/2007 पी0 टी0 15 दिनांक 08.05.07 द्वारा इस परियोजना की सशर्त अनुसंशा की गई है। अभी माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक अपने पत्रांक 19 एम0 - 1(5)26 / 06-2824 दिनांक 08.06.07 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। | क्षेत्रीय स्तर पर लंबित। |
| 6 | त्रिकुट पहाड़ पेयजल आपूर्ति योजना। | 0.20 हे0 | देवघर वन प्रमंडल | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर का पत्रांक 5-जे0एच0बी0 044/2007 - बी एच यू दिनांक 30.11.2007 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त। | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 951 दिनांक 24.12.2007 द्वारा संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु सूचित किया गया। |
| 7 | त्रिकुट पहाड़ 200 के भी ए ट्रांसफार्मर की स्थापना। | 0.137 हे0 | देवघर वन प्रमंडल | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक 5- जे0एच0बी0 045/2007 - बी एच यू दिनांक 30.11.2007 द्वारा स्टेज -1 प्राप्त। | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 950 दिनांक 24.12.2007 द्वारा संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु सूचित किया गया। |

जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जाने वाली वनभूमि | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कांसजोर जलाशय योजना | 3.40 हे. | सिमडेगा वन प्रमण्डल | भारत सरकार द्वारा कतिपय पृच्छाएँ की गई थी (दृष्टव्य पत्रांक 8-117/91 एफ.सी.ई. दिनांक 31.05.1991) पृच्छाओं का अनुपालन प्रयोक्ता संस्थाओं द्वारा नहीं करने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में अस्वीकृत किया गया लेकिन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि का उपयोग कर लिया गया था जिसके नियमितिकरण का प्रस्ताव अनेक स्मार के बाद भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। जिसमें निम्न त्रुटियों पाई गई हैं:- क. प्रस्ताव में अंतग्रस्त अधिसूचित वन भूमि के अतिरिक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज जंगल झाड़ी वाली वन भूमि का विवरण अप्राप्त हैं। ख. टोपो सीट में लोकेशन मैप अप्राप्त। ग. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि, एन.पी.भी. की राशि दंडात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं भारत सरकार द्वारा लगायी जानेवाली शर्तों के आलोक में अन्य वांछित राशि उपलब्ध कराने संबंधी बचनबद्धता अप्राप्त। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा उनके पत्रांक 767 दिनांक 24.5.2006 को कार्यपालक अभियंता से उपर्युक्त त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन की माँग की गई है। अभी तक निराकरण प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस कार्यालय से कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमण्डल -1 सिमडेगा को प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मारित किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1966 दिनांक 23.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। | राज्य सरकार के स्तर पर लंबित। |
| 2 | लौगावियर लिंक कनाल निर्माण | 1.1736 हे. | गढ़वा उत्तरी प्रमण्डल | स्टेज I स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 12(22)1/02-एफ.सी.ई. दिनांक 31.03.2002 द्वारा प्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन वन विभागीय पत्र संख्या वनभूमि 85/2000-667 दिनांक 07.02.2007 द्वारा भारत सरकार को भेजा जा चुका है। | भारत सरकार के स्तर पर स्टेज-2 की स्वीकृति लंबित। |
| 3 | नन्दिनी जलाशय योजना का निर्माण | 8.988 हे. | राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-241/283-एफ.आर.ओ.ई. बवदेद्व दिनांक 16.09.1983 द्वारा स्टेज-2 की स्वीकृति प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा 15.03.2004 को इस प्रोजेक्ट का अनुश्रवण किया गया जिसमें त्रुटियों पाई गई। त्रुटियों के निराकरण की स्थिति निम्नवत् है:- (प) एफ.आर.एल.-4 मी. क्षेत्र को वन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इस पर वनरोपण खर्च भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। (यह क्षेत्र 997.50 एकड़ प्रतिवेदित है) (पप) रीजरवायर के नजदीक 10 हे. गैर वनभूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनरोपण करना था। अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है तथा इस मद में राशि रु. 97243/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (भारत सरकार के अनुश्रवण के अनुसार)। पूर्व में इसके लिए रु. 1,20,000/- की माँग की गई थी। वर्ष 2005 में पुनः नये दर के अनुरूप रु. 2,52,973/- के लिए माँग की गई है। (पपप) नहर के किनारे (53.37 एकड़) वनरोपण नहीं किया गया है। इसके लिए राशि भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। | शर्तों के अनुपालन हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची पश्चिमी के पत्र संख्या 2085 दिनांक 16.09.06, 2341 दिनांक 10.11.06, 268 दिनांक 31.01.07 एवं 707 दिनांक 12.03.07, 1318 दिनांक 11.04.07 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता को स्मारित किया गया है। |
| 4 | शुरु जलाशय योजना | 139.72 हे. | सरायकेला वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक 8-41/06 एफ सी दिनांक 23.08.2006 द्वारा स्टेज-1 की सहमति 16 शर्तों पर दी गई है। शर्तों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 815 दिनांक 09.09.2006 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दी गई है। | शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्र से अप्राप्त। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है। |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|--|--|---|
| | | | | अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। | |
| 5 | गुमानी जलाशय योजना | 2.58 हे. | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, साहेबगंज | भारत सरकार के पत्रांक 10-173/एफ.सी.ई. दिनांक 03.08.2006 द्वारा स्टेज-2 स्वीकृति 16 शर्तों पर दी गई है। अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका प्राप्त एवं कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 469 दिनांक 30.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षक, झारखण्ड राँची को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित। | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर विचाराधीन। |
| 6 | पुनासी जलाशय योजना | 288.62 हे. | अजय भू-संरक्षण प्रमंडल देवघर | भारत सरकार के पत्रांक 5-जे.एच.ए. 016/2006 बी.एच.यु. दिनांक 26.05.2006 द्वारा कुल 4 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गई है, यथा- (1) 1रू50000 स्केल पर लोकेशन मैप (2) कैचमेंट ऐरिया ट्रीटमेंट प्लान (3) व.सं. अधिनियम 1980 के उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों का नाम पदनाम (4) अन्य स्पष्ट मैप। | प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त। कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या वृ 57 दिनांक 25.01.2007 द्वारा भारत सरकार के द्वारा की गई पृच्छा का जवाब पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा चुका है। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रयोजना स्थल पर निरीक्षण किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केचमन्ट ऐरिया ट्रीटमेंट प्लॉट तथा एफ.आर.एल.-4 मी. के बीच स्थित वृक्षों की गणना सूची अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है। |
| 7 | गरही जलाशय योजना | 360.43 हे. | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल | प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दी गई है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वनभूमि पूर्ण रूप से प्राप्त कर सूचित करने का निर्देश है। समतुल्य वनभूमि पूर्ण रूप से प्राप्ति की सूचना मिलने पर भारत सरकार द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 2503 दिनांक 11.09.2006 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 448.95 एकड़ गैर वनभूमि अभी भी उपलब्ध कराना शेष है। जल संसाधन विभाग से अनुरोध करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से अनुरोध किया है। | दिनांक 02.12.2006 को अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग ने बताया है कि इस परियोजना के लिए संपूर्ण गैर वनभूमि की पहचान की जा चुकी है। कार्यकारी निदेशक द्वारा उन्हें इसकी सूची को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अभी तक अप्राप्त है। प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 8 | सोनुआ जलाशय योजना | 24.00+2.00 26.60 हे. | पोड़ाहाट वन प्रमंडल | प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित। भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा के अनुपालन में पुनः 2.60 हे. अतिरिक्त वन भूमि को जोड़ते हुए कुल 26.60 हे. का प्रस्ताव भारत सरकार को राज्य सरकार के पत्र सं. - वन भू सिंचाई 2198-695 ई./व.प. पटना 23, दिनांक 24.10.1998 द्वारा समर्पित। स्वीकृति अप्राप्त है। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 138 दिनांक 15.02.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को स्मार के लिये अनुरोध किया गया। | भारत सरकार के स्तर पर लंबित। |
| 9 | स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय योजना | 1800.81 हे. | चाईबासा उत्तरी प्रमंडल, धालभूम प्रमंडल, सरायकेला प्रमंडल, राँची वन्य प्राणीप्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-83/2003 एफ.सी. दिनांक 23.08.2006 द्वारा स्टेज-1 की स्वीकृति (1655.55 हे. के लिए) 12 (बारह) शर्तों पर दी गई है। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 467 दिनांक 29.05.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित। | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर लंबित |
| 10 | हेसला सिंचाई योजना | 0.15 हे. | लातेहार वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-181/85-एफ.सी. दिनांक 05.06.1985 द्वारा स्टेज-2 स्वीकृत। भारत सरकार द्वारा पाया गया कि नहर के दोनों किनारे पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है तथा 2 हे. गैर वनभूमि पर भी वनरोपण नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसके लिए 500/- जमा किया गया है जो 2 हे. में वनरोपण के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है। क्षेत्र से इसका अनुपालन लंबित है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को स्मारित किया जा रहा है। | |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------|--|--|---|
| 11 | नकटी जलाशय योजना | 43.90 हे. | पोड़ाहाट वन प्रमंडल | दिनांक 31.08.2006 को कार्यकारी निदेशक कार्यालय, राँची के कार्यालय कक्ष में नकटी तथा झरझरा जलाशय योजना से संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रस्ताव को पूर्ण रूप से समर्पित करने हेतु अभिलेख/सूचना/अन्डरटेकिंग इत्यादि के संबंध में चर्चा हुई तथा अभियंताओं/वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित की जाने वाली अभिलेखों इत्यादि की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 787 दिनांक 31.08.2006 द्वारा दी गई है। दोनों परियोजनाओं के लिए निम्नवत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध अभियंताओं से की गई। 1. मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल में लोकेशन मैप 2. अपयोजित होने वाली गैर वन भूमि के संबंध में उपायुक्त का भूमि विमुक्त करने का प्रमाण। 3. भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों यथा एन0पी0भी0 क्षतिपूरक वनरोपण दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, वन पुर्नजनन के लिए राशि देने हेतु अण्डर – टेकिंग उपलब्ध कराना। 4. ग्राम सभा/स्थानीय निकाय से परियोजना संबंधी अनुमोदन पत्र। 5. भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण पत्र। अभी तक सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 12 | झरझरा जलाशय योजना | 11.114 हे. | पोड़ाहाट वन प्रमंडल | अपयोजन से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। संशोधित प्रस्ताव जल संसाधन विभाग द्वारा समर्पित किया जाना है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। अधीक्षण अभियन्ता, चाईबासा द्वारा नकटी जलाशय योजना के विरुद्ध ग्राम-चकला, ओरमांझी में जल संसाधन विभाग की 49.68हे. गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। भूमि की जाँच कराने से से यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि वन भूमि के रूप में अधिसूचना संख्या. सी/एफ-17033-55/2180 आर0 दिनांक 01.07.1955 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। अतः यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार्य नहीं है। |
| 13 | कोनार सिंचाई योजना | 137.224 हे. | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल | प्रस्ताव अपूर्ण रहने के कारण वापस कर लिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित प्रस्ताव अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 14 | लतरातू जलाशय योजना | 160.81 हे. | राँची पूर्वी प्रमंडल | प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास दिया गया है लेकिन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि नहीं उपलब्ध कराने के कारण प्रस्ताव, वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर के द्वारा अग्रसारण नहीं किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 869 दिनांक 27.09.2006 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर को पूर्ण प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया है। वन संरक्षक, संचालपरगना अंचल ने सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वनभूमि डूब क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है इस कारण स्वीकार नहीं किया गया है। वन संरक्षक द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को यह सूचना दी गई है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 15 | अजय बराज योजना | 19.543 हे. | देवघर वन प्रमंडल / जामताड़ा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को वन प्रमंडल पदाधिकारी के जाँच हेतु भेजा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-3675 दिनांक 12.12.2001 के द्वारा, समर्पित प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों के निराकरण के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण जल प्रमंडल सं.-1 सिमडेगा से पृच्छा की गई है। पृच्छा का उत्तर अप्राप्त है। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 16 | तपकरा जलाशय योजना | 32.39 हे. | गुमला वन प्रमंडल | वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 309 दिनांक 28.03.06 द्वारा कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल खूँटी को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गई हैं जो निम्नवत हैं:- 1. टोपो सीट में लोकेशन मैप नहीं दिया गया है। 2. लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं है। 3. स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायती आम सभा की स्पष्ट अनुशंसा नहीं है। 4. अंतग्रस्त गैर मजुरूआ भूमि में गैर वनभूमि एवं वनभूमि का विवरण नहीं है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि की स्पष्ट विवरणी एवं नक्शा संलग्न नहीं है। 6. अपयोजित होने वाली वनभूमि की उद्देश्यवार विवरणी नहीं है। | राज्य सरकार के स्तर पर लंबित। |
| 17 | रामरेखा जलाशय योजना | 9.4 हे. | सिमडेगा वन प्रमंडल | | |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|--------------------------|---|--|
| | | | | <p>7. पुनर्वास प्रस्ताव संलग्न नहीं है।</p> <p>8. प्रस्तावित होनेवाली वृक्षों की गणना सूची प्रस्तावित नहीं है।</p> <p>9. कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।</p> <p>वन विभागीय पत्रांक 59/2005-5034 दिनांक 24.08.2005 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उक्त त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्र संख्या 309 दिनांक 28.03.2006, 642 दिनांक 13.04.2007 एवं 441 दिनांक 08.06.2007 द्वारा की गई पृच्छाओं का जवाब कार्यपालक अभियंता, खूंटी से अप्राप्त। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1967 दिनांक 23.05.2008 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित A</p> | |
| 18 | नरमा जलाशय योजना | 38.52 एकड़ | गुमला वन प्रमंडल | <p>प्रस्ताव को नये प्रपत्र में देने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 463 दिनांक 17.09.03, पत्रांक 1910 दिनांक 16.08.04 एवं 1445 दिनांक 04.05.07 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव अब तक अप्राप्त है।</p> | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 19 | अपरशंख जलाशय योजना | 47.14 हे. | गुमला वन प्रमंडल | <p>क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को 47.14 हे. गैर वनभूमि उपलब्ध कराना है। इस कार्यालय के पत्रांक 811 दिनांक 6.09.2006 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा अभी भी 10.26 हे. गैर वनभूमि उपलब्ध कराना बाकी है। गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को स्मारित किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त। शेष गैर वनभूमि उपलब्ध होने पर संपूर्ण शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाएगा।</p> | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। |
| 20 | सुरंगी जलाशय योजना | 35.50 हे. | राँची पूर्वी वन प्रमण्डल | <p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 2426 दिनांक 15.6.06 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा गया है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 35.50 हे. लांधुडीह एवं गेतलसूद में उपलब्ध कराया गया था जो अतिक्रमित है एवं वनरोपण हेतु उपर्युक्त नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि स्वर्णरेखा परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि से उक्त 35.50 हे. भूमि ली जाए।</p> | राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया कि गैर वनभूमि तथा एन0पी0भी0 की वसूली प्रयोक्ता अभिकरण से की जाए। प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची पूर्वी वन प्रमंडल के माध्यम से स्मारित किया गया है। |

जल विद्युत परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति (उर्जा) की अद्यतन स्थिति

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | अपयोजित भूमि का रकबा (हे० में) | वन प्रमण्डल का नाम | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | निन्दी घाघ जल विद्युत परियोजना | 0.7704 हे० | रॉची पश्चिमी वन प्रमण्डल लोहरदगा | भारत सरकार के पत्रांक 12(23)1/01 एफ.सी.ई. दिनांक 03.07.2001 द्वारा कुल 8 शर्तों के साथ स्टेज-॥ स्वीकृति प्राप्त। शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन। अप्राप्त। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 2 | जालिम घाघ जल विद्युत परियोजना | 0.8383 हे० | रॉची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा | भारत सरकार के पत्रांक 12(23)2/2001 एफ.सी.ई. दिनांक 23.10.2001 द्वारा कुल 9 शर्तों के साथ स्टेज-॥ प्राप्त। शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त। | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित। |
| 3 | सदनी फॉल जल विद्युत गृह के संस्थापन हेतु बी.एस.एच.ई.पी. कॉरपोरेशन का प्रस्ताव | 1.457 हे० | गुमला वन प्रमण्डल | भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं का पूर्ण अनुपालन नहीं होने के कारण पत्रांक - 12(23)3/01 एफ.सी.ई. दिनांक 13.11.2002 द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में विषयगत प्रस्ताव के संबंध में दायर डब्लू.पी.सी. सं.-3153/04 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में लंबित है। | माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में विचाराधीन। |
| 4 | कोयलकारो जल विद्युत परियोजना | 865 हे० | रॉची पूर्वी गुमला वन प्रमण्डल | भारत सरकार के पत्रांक-7-29/80-एफ.सी. दिनांक 06.07.1990 द्वारा स्टेज-॥ स्वीकृति प्राप्त। शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रस्ताव को निरस्त करने की अनुशंसा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई है। | शर्तों का अनुपालन नहीं होने के कारण राज्य सरकार के पत्रांक 2152 दिनांक 27.04.07 द्वारा स्टेज-2 स्वीकृत्यादेश को रद्द करने हेतु अनुसंशा भारत सरकार को प्रेषित। |

वन संरक्षण, 1980 के
निजी संस्थानों / अन्य से संबंधित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | फेल्सपार एवं क्वार्ज खनन कसारी (सिमरिया) | 1 हे. | वन प्रमंडल, चतरा दक्षिणी प्रमंडल | राज्य सरकार के पत्रांक 6647 दिनांक 20.12.03 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं का अनुपालन ससमय नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव को निरस्त किया गया । | प्रयोक्ता संस्थान से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2980 दिनांक 18.07.06 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । वन विभागीय पत्र संख्या वनभूमि-100/2000-5121 दिनांक 19.10.06 द्वारा 2 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है जिसका जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 363 दिनांक 14.05.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया है । |
| 2 | मेसर्स मनमोहन मिनरल्स प्रा. लि. के कुदरुकोचा में स्वर्ण खनन परियोजना | 19.5 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | भारत सरकार का पत्रांक 10-164/एफ.सी.ई. दिनांक 24.2.99 द्वारा स्टेज-11 की स्वीकृति । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित । | |
| 3 | अनिल कुमार खिरवाल, लौह अयस्क, बाघबुरु । नोवामुडी पी0 एफ0 | 8.242 हे. | चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल | राज्य सरकार के पत्रांक 427 दिनांक 24.01.07 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार का पत्र दिनांक 28.02.07 द्वारा कुल 4 बिन्दुओं पर सूचना मंतव्य की मांग की गई है । कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 643 दिनांक 16.08.07 द्वारा प्रतिवेदन भूवनेश्वर भेजा गया है । एस ए जी की बैठक दिनांक 22.11.07 को हुई । एस ए जी की सर्वसम्मत अनुसंसा है कि प्रयोक्त अभिकरण को खनन कार्य 8.242 में सीमित रखना होगा तथा इससे लगे वन क्षेत्र 11.089 हे0 को वन आच्छादन क्षेत्र के रूप में संधारण करना होगा । भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग, भुवनेश्वर का पत्रांक 12(21) 5/2002-एफ सी ई दिनांक 25.02.2008 द्वारा स्टेज - 1 प्राप्त । | कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 229 दिनांक 18.03.2008 द्वारा वांछित प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है । |
| 4 | मेसर्स सिंहभूम कं. का करमपदा आयरन और माइन्स खनन पट्टा को नवीकरण प्रस्ताव | 141.64 हे. का खंडित क्षेत्र 18.975 हे. | सारंडा वन प्रमंडल | भारत सरकार का पत्रांक 10-192/एफ.सी. दिनांक 27.10.98 द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है । भारत सरकार द्वारा कृत पृच्छा का निराकरण प्रयोक्ता संस्थान/क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अब तक अप्राप्त है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 5 | मेसर्स मिश्री लाल जैन एंड सन्स करमपदा सुरक्षित वन में आयरन और माइन्स हेतु वन | 202.30/202.35 हे. का खंडित क्षेत्र 49. | सारंडा वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 8-89/2005 एफ.सी. दिनांक 20.07.06 द्वारा कुल 11 शर्तों के साथ स्टेज-1 की सहमति । शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार के पत्रांक 1883 | भारत सरकार के पत्रांक एफ न0 8-89/2005 एफ सी दिनांक 27.07.2007 द्वारा स्टेज-2 प्राप्त । स्टेज-11 में लगाये गये शर्तों का अनुपालन |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | भूमि अपयोजन का नवीकरण का प्रस्ताव | 195 हे. | | दिनांक 11.04.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा के पत्र संख्या. 2622 दिनांक .23.08.07 द्वारा कार्यकारी निदेशक को प्राप्त । |
| 6 | नीलांचल आयरन एवं पावर लि. कान्हा | 0.159 हे. | सरायकेला वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्र संख्या 5 जे.एच. बी. 006/05/बी. एच.यू. दिनांक 01.8.2005 द्वारा स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । | शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अप्राप्त । |
| 7 | पानेम कोल फील्ड | 400 हे. | पाकुड़ वन प्रमंडल | भारत सरकार का पत्रांक 08-17/04एफ.सी. दिनांक 31.10.06 द्वारा स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । वन विभागीय पत्र संख्या वनभूमि-28/2003-3086 दिनांक 26.06.07 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में खनन हेतु 400 हे0 वन भूमि मुक्त की गई । | वन विभागीय पत्र वनभूमि-28/2003-3086 दिनांक 26.06.07 के आलोक में कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 514 दिनांक 05.07.07 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को भूमि हस्तांतरण करने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, दुमका / वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को निर्गत किया गया तथा हैन्डीग ओभर/टेकिंग ओभर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया । |
| 8 | वेस्ट बोकारो कोलियरी द्वारा ओवर लैंड कन्वेयर की स्थापना | 4.07 हे. | रामगढ़ वन प्रमंडल | भारत सरकार के पत्रांक 5-जे.एच.बी. 02/04 दिनांक 06.06.2005 द्वारा कुल 5 शर्तो के स्टेज-1। स्वीकृति प्राप्त । | शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 1448 दिनांक 16.03.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित। गैर वन भूमि का नामांतरण वन विभाग के पक्ष में वांछित । |
| 9 | सर्वश्री उषा मर्टिन के पक्ष में अपयोजन स्वीकृत 29.4648 हे0 में 2 अस्थाई फाइबर कार्यालय अस्थाई स्कीम एवं अस्थाई वेब्रिज स्थापित करना | 29.4648 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल । | भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर 12 (21) 51 /2004 एफ0सी0ई0 दिनांक 19.10.06 द्वारा सशर्त स्वीकृति प्राप्त । शर्तो को अनुपालन प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 430 दिनांक 01.06.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 3264 दिनांक 04.07.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । |
| 10 | हिसरी एवं चांपी में मे. हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि. का प्रस्ताव | 4.47 हे. | रांची पश्चिमी वन प्रमंडल लोहरदगा | राज्य सरकार के पत्रांक 567 दिनांक 31.01.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । भारत सरकार का पत्र दिनांक 11.04.07 द्वारा कतिपय पृच्छायें की गई है । | भारत सरकार द्वारा की पृच्छा का अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 393 दिनांक 28.05.07 द्वारा भेजा गया है । दिनांक 22.06.07 को राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की जा चुकी है । बैठक में भुवनेश्वर कार्यालय द्वारा मांगी सूचनाएँ कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 504 दिनांक 04.07.07 द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी गई है । |
| 11 | मेसर्स सेसागोवा लि0 भूगर्भीय सर्वेक्षण । | 700 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल । | वन विभागीय पत्र संख्या 2461 दिनांक 18.05.07 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के स्तर पर लंबित । मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक झारखण्ड राँची के पत्र संख्या 662 दिनांक 23.08.07 द्वारा मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को भेज दिया गया है । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|---|----------------------------|---|---|
| 12 | मेसर्स हिन्दुस्तान कॉर्पर्स लि0, मुसाबनी । | 203.62 हे0 सतही47.49हे0 अन्तसतह 142.25हे0 कुल-189.74हे. | धालभूम वन प्रमंडल । | भारत सरकार पत्रांक 8-64/96 एफ0 सी0 दिनांक 15.05.1998 द्वार 9 शर्तो पर स्टेज-।। स्वीकृति प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 412 दिनांक 30.05.07 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को भेजा गया है । | एम.एम.आर.डी. के तहत पट्टा की अवधि 2004 में समाप्त हो गई है । वर्तमान में पट्टा की क्या स्थिति है स्पष्ट नहीं है । प्रयोक्ता अभिकरण से पृच्छा की गई है । |
| 13 | मेसर्स कॉन्टी स्टील लिमि0 (राज्य सरकार से एम0ओ0यू0 किया गया है ।) | 33.92 एकड़ 13.732 हे. | धालभूम वन प्रमण्डल | वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल के पत्र संख्या 785 दिनांक 11.03.06 द्वारा 7 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी जिसका जवाब प्रयोक्ता अभिकरण ने अभी तक नहीं दिया है अतः इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । पुनः इनके द्वारा 66.21 एकड़ वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र संख्या सी0एस0एल0/17.02.07 द्वारा दिया गया है । इस प्रस्ताव पर कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 188 दिनांक 09.03.07 द्वारा उनसे 6 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है जिसका जवाब प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं दिया गया है । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 14 | मेसर्स कॉन्टी स्टील लिमि0, नई दिल्ली । | 26.80 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | | प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु आवश्यक अभिलेख समर्पित करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम के पत्रांक 451, दिनांक 08.02.07 द्वारा अनुरोध किया । |
| 15 | वेस्ट बोकारो कोलियरी टिस्को | 222.24 हे. | रामगढ़ वन प्रमण्डल | संशोधित प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 991 दिनांक 26.02.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 1858 दिनांक 10.04.07 द्वारा कुल 8 बिन्दुओं पर की गई है । पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 611 दिनांक 06.08.07 द्वारा सरकार के उपसचिव को भेजा गया । | राज्य सरकार के विचाराधीन । |
| 16 | विजय माईनिंग को0 लिमिटेड | 24 एकड़ | वन प्रमण्डल, गढ़वा दक्षिणी | प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 3216 दिनांक 18.07.05 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । राज्य सरकार के पत्रांक 6120 दिनांक 21.10.05 द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छाये की गई है । | पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 5371 दिनांक 27.11.05 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । |
| 17 | टाटा ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट (राज्य सरकार से एम0ओ0यू0 किया गया है ।) | 228.66 हे0 | सरायकेला वन प्रमण्डल | सर्व श्री टाटा स्टील ने अपने पत्र दिनांक 20.01.05 द्वारा सरायकेला जिला में 565.02 एकड़ वन भूमि के अपयोजन का अधूरा प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने ने अपने पत्र दिनांक 09.10.06 द्वारा पुनरिक्षित करते हुए 103.40 एकड़ की आवश्यकता बताई गई । इसके साथ टाटा स्टील द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले में 102.16 एकड़ वन भूमि के अपयोजन का अधूरा प्रस्ताव दिया था । पुनः सर्वश्री टाटा स्टील ने अपने पत्र संख्या जे.पी. -08/148-07 दिनांक 07.03.2007 द्वारा सरायकेला वन प्रमंडल में 228.66 हे0 वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव दिया है । प्राप्त इस प्रस्ताव के आलोक में कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 237 दिनांक 28.03.07 द्वारा सर्वश्री टाटा स्टील से अनुरोध किया गया है कि इस परियोजना में सामिल कुल सरकारी भूमि 1358.50 हे0 की प्लॉटवार " किस्म जमीन" प्रमाण पत्र राजस्व पदाधिकारी से | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | प्राप्त कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि वर्तमान में वे सिंहभूमि पश्चिमी जिले में वन भूमि का अपयोजन चाहते हैं या नहीं ? 228.66 हे. अपयोजित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की विवरणी नहीं दी गई है। | |
| 18 | मौजा बगडू भुसाड़ एवं हिसरी में मे. हिंडालको इन्डस्ट्रीज का प्रस्ताव। | 19.56 हे. | रांची पश्चिमी वन प्रमंडल लोहरदगा | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 4503 दिनांक 6.10.2006 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित। राज्य सरकार के पत्रांक 110 दिनांक 08.01.07 द्वारा कुल 9 बिन्दुओं पर सूचनाओं की मांग की गई है। राज्य सरकार के पृच्छित पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक का पत्रांक 864 दिनांक 20.11.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया। | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन। |
| 19 | मे. टिस्को नोआमुंडी का लौह अयस्क खनन हेतु हिल संख्या 3 एवं 5 का प्रस्ताव। | 25.245 हे. | सारंडा वन प्रमंडल | प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्रांक 2537 दिनांक 24.05.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। | भारत सरकार के विचाराधीन। |
| 20 | मेसर्स ग्लोब इण्डस्ट्रीज एण्ड एलॉय प्रा. लिमिटेड, रामगढ़ | 1.434 हे. | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 1219 दिनांक 08.03.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित। | राज्य सरकार के विचाराधीन। |
| 21 | सर्वश्री इलेक्ट्रो स्टील कार्स्टिंग लिमिटेड | 55.790 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव नाविक पदाधिकारी के पत्रांक 48 दिनांक 22.01.07 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रेषित किया गया। कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 647 दिनांक 17.08.07 द्वारा अपायोजन प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, को भेजा गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 5485 दिनांक 29.11.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार के पत्रांक 1237 दिनांक 17.04.2008 द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया। | भारत सरकार के विचाराधीन। |
| 22 | वेस्ट बोकारो कोलियरी, टिस्को द्वारा पड़साबेड़ा एवं बारुघुटू गाँव में 259.90 हे. के वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव | 249.90 हे. | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1144 दिनांक 06.03.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित। राज्य के पत्रांक 1857 दिनांक 10.04.07 द्वारा 3 बिन्दुओं पर पृच्छायें की गईं एवं संशोधित प्रस्ताव समर्पित किये जाने का निदेश है। | पृच्छित 3 बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 645 दिनांक 17.08.07 द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षक, को भेजा गया। संशोधित प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 4235 दिनांक 27.08.07 द्वारा संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। |
| 23 | जैन श्वेताम्बर कल्याण तीर्थ न्यास हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव। | 0.8093 हे. | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2011 दिनांक 19.04.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित। इस संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि 70/07-5131 व.प. दिनांक 12.09.2007 द्वारा की गई पृच्छा का जवाब कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 748 दिनांक 20.09. | राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई की सूचना अप्राप्त। |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | 2007 द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है । | |
| 24 | दुर्गा सिमेन्ट फ़ैक्ट्री, रामगढ़-वनपथ के उपयोग के लिये । | 0.780 हे. | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक 1341 दिनांक 17.04.07 द्वारा भेजा गया। वन विभागीय पत्रांक वनभूमि - 21/ 2007-1982 दिनांक 17.04.2007 द्वारा 6 बिन्दुओं पर पृच्छा कर प्रस्ताव वापस किया है । प्रयोक्ता अभिकरण पृच्छा का जवाब दे दिया है । जिसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 418 दिनांक 30.05.07 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ को मंतव्य के लिये भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के स्तर पर लंबित । |
| 25 | सर्वश्री उषा मार्टिन के पक्ष में पाईप लाईन | 0.787 हे0 | सरायकेला वन प्रमंडल | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5-जे एच बी 043/2007 बी एच यू दिनांक 08.02.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 164 दिनांक 26.02.08 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अनुपालन हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 26 | सर्वश्री हिन्डाल्को के पक्ष में लातेहार जिला में ग्रीन फील्ड अल्मुनियम प्रोजेक्ट की स्थापना । | 425.98 एकड़ | लातेहार वन प्रमंडल । | प्रयोक्ता अभिकरण को इस कार्यालय ज्ञापांक 302 दिनांक 10.04.07 द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि की विवरणी तथा परियोजना में सामिल अधिसूचित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के किस्म के संबंध में राजस्व पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । सूचना अप्राप्त । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । मुख्य सचिव झारखण्ड के द्वारा दिनांक. 02.08.2007 को दिये गये निदेश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव समर्पित करने के लिये कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 609 दिनांक 06.08.07 द्वारा विस्तृत निदेश दिये गये है । |
| 27 | सर्वश्री हिन्डाल्को मौजा पाखड़ | 3.45 हे0 | लाहरदग्गा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 153 दिनांक 22.02.2008 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को भेजा गया । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 28 | जुस्को लि0 जमशेदपुर द्वारा 132 के0बी0 ट्रॉन्समिशन का निर्माण | 6.561 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 1867 दिनांक 11.04.07 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । वन विभागीय पत्र संख्या वन भूमि 39/2007-3036 दिनांक 21.06.2007 द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को प्रेषित । भारत सरकार के पत्रांक 5-जे एच सी 031/2007 बी एच यू दिनांक 02.11.07 द्वारा स्टेज-। स्वीकृत किया गया । स्टेज -। की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 888 दिनांक 27.11.07 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची को भेजा गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक 5432 दिनांक 28.11.07 द्वार राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--|------------------------------|--|--|
| 29 | बी0एस0एन0एल0, जमशेदपुर द्वारा 40 मीटर उँचा टावर का स्थापना । | .0036 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल । | वन विभागीय पत्र संख्या 1779 दिनांक 03.04.07 द्वारा प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित । | भारत सरकार के विचाराधीन । |
| 30 | बी0एस0एन0एल0 जमशेदपुर द्वारा गुवा से किरीबुरु तक आष्टिकन फाईबर केबुल बिछाने हेतु | 1.044 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 1783 दिनांक 04.04.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित । वन विभागीय पत्र संख्या 2466 दिनांक 18.05.07 के द्वारा 3 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पत्र संख्या 2750 दिनांक 04.06.07 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम से अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर लंबित । |
| 31 | बी0एस0एन0एल0 जमशेदपुर बन्दगाँव से चक्रधरपुर तक आष्टिक फाइबर केबुल बिछाने हेतु | 1.8 हे. | पोराहाट वन प्रमंडल । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय पत्रांक 1789 दिनांक 05.04.07 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 32 | हिन्दुस्तान कॉपर लिमि0, चापरी शिद्वेश्वर क्षेत्र – नवीकरण प्रस्ताव । | 115.86 हे. सतही 36.90 हे. भूमिगत 78.96 हे. | धालभूम वन प्रमंडल । | वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1980 दिनांक 08.06.2007 द्वारा प्रस्ताव को जांचोपरान्त वन संरक्षक, सिंहभूम राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर को भेज दिया है । | वन संरक्षक, के स्तर पर लंबित । |
| 33 | मेसर्स मनमोहन मिनरल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड – स्वर्ण खनन | 12.8842 हे. | धालभूम वन प्रमंडल । | वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1978 दिनांक 08.06.2007 द्वारा प्रस्ताव को जांचोपरान्त वन संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर को भेज दिया । | वन संरक्षक, के स्तर पर लंबित । |
| 34 | मे0 टी0 पी0 रूंगटा, नवडीह मेगनेटाईट आयरन और खनन पट्टा नवीकरण । | 10.53 हे0 | डालटनगंज उत्तरी वन प्रमंडल । | इस प्रस्ताव से संबंधित पृच्छा का जवाब क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्र संख्या 1535 दिनांक 15.09.2005 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को भेजा गया है । | |
| 35 | उषा मार्टिन लि0 के पक्ष में पाईपा लाइन निर्माण नवीकरण का प्रस्ताव । | 0.525 हे. | सरायकेला वन प्रमंडल | नवीकरण प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1952 दिनांक 17.04.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 36 | सर्व श्री हिन्दुस्तान कॉपर लि0, मउभंडार, घाटशिला । | 115.86 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | | प्रयोक्ता अभिकरण को स्वीकृत खनन प्लान तथा खनन प्लान तथा पट्टा के राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत पत्र समर्पित करने हेत वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल द्वारा पत्रांक 723 दिनांक 06.02.2007 द्वारा अनुरोध किया गया । |
| 37 | सर्व श्री हिन्दुस्तान कॉपर लि0, मउभंडार, घाटशिला । | 149.785 हे. | धालभूम वन प्रमंडल | | प्रयोक्ता अभिकरण को स्वीकृत खनन प्लान तथा खनन प्लान तथा पट्टा के राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत पत्र समर्पित करने हेत वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल द्वारा पत्रांक 622 दिनांक 23.02.2007 द्वारा अनुरोध किया गया । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| 38 | मेसर्स आर0 मेक्डील एण्ड कम्पनी , चाईबासा । | 36.340 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | राज्य सरकार द्वारा नये प्रपत्र मे प्रस्ताव की मांग की गई है । प्रयोक्ता अभिकरण 40.074 हे0 के रूप में नये प्रस्ताव को इस कार्यालय को समर्पित किया है । | राज्य सरकार के स्तर से प्रस्ताव अस्वीकृत । |
| 39 | मेसर्स आर0 मेक्डील एण्ड कम्पनी , चाईबासा । | 40.074 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 465 दिनांक 29.05.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकरी , सरायकेला को स्थलीय जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित । |
| 40 | मेसर्स सिंहभूम, मिनिरल्स, चाइबासा । | 18.60 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | | भारत सरकार के द्वारा की पृच्छा का पूर्ण अनुपालन के अभाव मे प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से प्रस्ताव लंबित । |
| 41 | मेसर्स आर0 जे0 मिल्स | 23.233 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | भुवनेश्वर कार्यालय के पत्रांक 10(21)2/2000 एफ. सी ई दिनांक 20.03.07 द्वारा की गई पृच्छा का जवाब प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 22-पी - 2 (2) 16/97 - 3365 दिनांक 11.07.07 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया । राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि - 27/06 - 5182 दिनांक 13.09.07 द्वारा पृच्छाओं का जवाब भारत सरकार (भुवनेश्वर) को भेजा गया । एस ए जी की बैठक दिनांक 22.11.07 को हुई । एस ए जी की सर्वसम्मत अनुसंसा है कि प्रयोक्ता अभिकरण को समेकित क्षेत्र (वन क्षेत्र 134.992 हे0) का अपयोजन प्रस्ताव देना होगा । साथ ही मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त किया जाय कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र हाथी का माइग्रेशन/कोरीडोर रूट है या नही ? मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी से मंतव्य की मांग की जा रही है । iz/kku eq; ou laj{k d के पत्रांक 1875 दिनांक 15.05.2008 द्वारा उप वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को प्रेषित । | भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है । |
| 42 | मेसर्स कमलजीत सिंह अहलुवाहिलय । | 24.750 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | | भारत सरकार के द्वारा की पृच्छा का पूर्ण अनुपालन के अभाव मे प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से प्रस्ताव लंबित । |
| 43 | उड़ीसा मैंगनीज एण्ड मिनिरल्स । | 122.832 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची पत्रांक 6271 दिनांक 23.12.05 के द्वारा प्रस्ताव नये संशोधित प्रपत्र में प्रस्ताव भेजने का निदेश । प्रयोक्ता एजेंसी ने निदेश के विरुद्ध में उच्च न्यायालय में अपील दायर । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा दिनांक 18.06.2007 को आदेश पारित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पुराने प्रपत्र में ही आवेदन देगें लेकिन उनसे आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त कर प्रस्ताव पर 6 सप्ताह के भीतर कार्यकारी निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाय । कार्यकारी निदेशक के पत्र संख्या 520 दिनांक 09.07.07 एवं पत्र संख्या 519 दिनांक 09.07.07 द्वारा क्रमशः प्रयोक्ता अभिकरण एवं सचिव खनन एवं भूतत्व | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची ज्ञापांक 4870 दिनांक 05.10.2007 के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया । प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | विभाग, झारखण्ड सरकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड से प्राप्त निदेश के आलोक में 122.832हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव को कार्यकारी निदेशक के पत्रांक.719 दिनांक 12.09.2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, को भेजा गया है । | |
| 44 | मेसर्स एन0के0पी0के0 लौह अयस्क । | 37.76 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | | वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संशोधन हेतु पत्रांक 507 दिनांक 31.01.07 से लौटाया गया । |
| 45 | उषा मार्टिन उद्योग लि0, डिलिंग | 155.078 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची पत्रांक 1901 दिनांक 13.04.07 से राज्य सरकार को अग्रसारित । वन विभागीय पत्रांक वनभूमि 53/07-5280 व.प. दिनांक 19.09.07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । | भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 46 | रौता में पहुंचपथ के निर्माण | 0.930 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रस्ताव कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 682 दिनांक 31.08.07 द्वारा प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची को अग्रसारित किया गया । | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के स्तर पर विचाराधीन । |
| 47 | मीरा एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लि0 । | 581.365 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल | प्रयोक्ता अभिकरण से वन प्रमंडल पदाधिकारी,, धालभूम के पत्रांक 2528 दिनांक 31.07.07 द्वारा पूर्ण प्रस्ताव देने के लिये सूचित किया है । | |
| 48 | बेस्ट बोकारों कोलियरी, अतना | 9.8866 हे0 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अब रामगढ़ वन प्रमंडल | राज्य सरकार के पत्रांक वन भू खनन /27/98-600-30/भी पी दिनांक 05.09.1998 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया । भारत सरकार ने पत्रांक 10-249/एफ सी ई दिनांक 15.07.1999 द्वारा 5 बिन्दुओं पर पृच्छा किया । पृच्छा का जवाब प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के पत्रांक 22 पी 2(5)/92-5360 दिनांक 20.11.2007 द्वारा भारत सरकार, भुवनेश्वर को भेजा गया । | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के स्तर पर विचाराधीन । |
| 49 | कृषि महाविद्यालय गोड्डा निर्माण हेतु 3.44 हे. (जंगल झाड़ी) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव । | 3.44 हे. | वन प्रमंडल, गोड्डा | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5-जे एच बी 041/2007 बी एच यू दिनांक 18.02.2008 द्वारा स्टेज-1 प्राप्त । पुनः पत्रांक 5-जे एच बी 041/2007 बी एच यू दिनांक 28.02.2008 द्वारा स्टेज-1 में संशोधन पत्र प्राप्त । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 197 दिनांक 07.03.2008 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अनुपालन द्वारा प्रेषित । | प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 50 | आदिवासी बालिका उच्च विद्यालय, गोपालपुर | 2.13 हे. | वन प्रमंडल, धालभूम | प्रस्ताव को राज्य सरकार के पत्रांक वनभूमि - 9/2007 - 5433 व.प. दिनांक 27.09.07 द्वारा भारत सरकार (भुवनेश्वर) को भेजा गया । प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी और प्रयोक्ता अभिकरण दोनों के भूमि अपयोजन का रकबा में अन्तर पाये जाने के कारण भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव वापस आया । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक दिनांक 02.06.2008 द्वारा | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के स्तर पर लंबित । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर, वन संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी,, धालभूम को भेजा गया । | |
| 51 | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बीरुडीह में मैगजीन की स्थापना । | 0.93 हे० | धालभूम वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 759 दिनांक 03.10.07 द्वारा प्रस्ताव की जांच के लिये वन प्रमंडल पदाधिकारी धालभूम वन प्रमंडल को निदेश दिया गया है । | क्षेत्रीय स्तर पर लंबित । |
| 52 | टाटा पावर कं० 220 के भी डी सी ट्रांसमिशन लाईन । | 16.94 हे० | धालभूम वन प्रमंडल | भारत सरकार (भुवनेश्वर) के पत्रांक 5-जे एच सी 008/2005 बी एच यू दिनांक 02.11.2007 द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया । | प्रस्ताव निरस्त । |
| 53 | ससंगादा उत्तरी पूर्वी ब्लॉक में भूगर्भीय सर्वेक्षण । सहायक निदेशक , भूगर्भ, चाईबासा द्वारा प्रस्तावित । | --- | --- | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची का पत्रांक 22पी-2(2) 25/07 - 5367 दिनांक 20.11.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया । इस प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है । | --- |
| 54 | रुंगटा माइन्स लि० कोदलीवाद लौह अयस्क, | 350.64 हे० | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 184 दिनांक 01.03.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा को जांच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 55 | यामाह शो रूम ,सरायकेला खरसावां | 2.00 एकड़ | वन प्रमंडल सरायकेला, खरसावां | प्रस्ताव को वन प्रमंडल पदाधिकारी को जांच हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 870 दिनांक 21.11.07 द्वारा भेजा गया । प्रस्तावित क्षेत्र आयडा को हस्तांतरित है या नहीं इसकी जांच आवश्यक है । स्थल विशिष्ट योजना की भी पूर्ण जांच आवश्यक है । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 56 | होराइजोन लोहा उद्योग लि०, घाटकुडी | 115.00 हे० | वन प्रमंडल सरायकेला, खरसावां | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 177 दिनांक 28.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा को जांच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 57 | मिनरल एवं मार्बल डेवलपमेंट रेडमा, डालटनगंज । | 25.37 हे० | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 114 दिनांक 05.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा दक्षिणी को जांच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 58 | सर्वश्री जेनरल प्रोड्युस कं० | 70.680 हे० | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 139 दिनांक 15.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा को जांच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 59 | आसंगी गांव में हास्पिटल का निर्माण । | 5 हे० | सरायकेला वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 143 दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा को जांच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 60 | आधुनिक एलवाय काण्डा रेलवे साइडिंग । | 10.367 हे0 | | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर का पत्रांक 5/जे एच सी 066/08 दिनांक 01.08.2008 द्वारा स्टेज -1 स्वीकृत । कार्यकारी निदेशक के ज्ञापांक 661 दिनांक 08.08.2008 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 61 | जे0 एस0 डब्ल्यू0 आयरन ओर | 1419.50 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसे कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा को जाँच हेतु प्रेषित किया गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 62 | देविका वाई भेलजी | 16.846 हे0 | | पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर का पत्रांक 10-219/एफ सी ई-1 दिनांक 22.07.2008 द्वारा स्टेज । स्वीकृत । | |
| 62 | मे0 जुस्को लि0 132 के0बी0 ट्रान्समिशन लाईन । | | सरायकेला वन प्रमंडल | कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 466 दिनांक 29.05.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला को स्थलीय जांच के लिये भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित । |
| 63 | तेनुघाट एमटा बादम कोल माइन्स । | 150.48 हे0 | रामगढ़ वन प्रमंडल | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2264 दिनांक 11.06.2008 द्वारा सचिव, वन एवं पर्यावरण झारखण्ड सरकार को भेजा गया । | राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन । |
| 64 | मे0 टाटा स्टील द्वारा कोतरे,बंसतपुर / प्रचमो प्रखंड | 912 हे0 | रामगढ़ /बोकारो वन प्रमंडल | स्थलीय निरीक्षण हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 421 दिनांक 14.05.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी रामगढ़ एवं बोकारो को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 65 | मे0 कारपोरेट एलाइज 400 के0बी0 ट्रान्मिशन लाईन | 156 हे0 | वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची पूर्वी । | स्थलीय निरीक्षण हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 420 दिनांक 14.05.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी , राँची पूर्वी को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 66 | मेसर्स एस्सार स्टील, झारखण्ड लि0 | | | अभि तक इस कम्पनी द्वारा वनभूमि अपयोजन हेतु कोई भी प्रस्ताव वन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । | |
| 67 | मेसर्स आरसेलर मित्तल इण्डिया लि0 | | | अभि तक इस कम्पनी द्वारा वनभूमि अपयोजन हेतु कोई भी प्रस्ताव वन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । | |
| 68 | मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि0 | 510.43 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | इस कम्पनी द्वारा जरेलडाबुरु आयरन ओर माइन्स हेतु सारण्डा वन प्रमंडल के अंतर्गत 510.43 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में दिनांक 17.06.08 से प्रस्ताव की सभी नौ (9) प्रतियां वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा वन प्रमंडल को भेजते हुए प्रस्ताव | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | की जांच कर प्रपत्र सं० II, III, IIIA में आवश्यक प्रविष्ट एवं मंतव्य की मांग की गई है । वर्तमान में जांच कार्य प्रगति पर है । (2) इस कं० द्वारा गोड्डा वन प्रमंडल के अंतर्गत कोयले खनन हेतु 139 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव दिनांक 07.07.2008 को कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में समर्पित किया गया है । नाभिक पदाधिकारी का पत्रांक 572 दिनांक 08.07.2008 से उक्त प्रस्ताव की जांच हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल को भेजा गया है । | |
| 70 | मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि० जितपुर कोल ब्लॉक | 139 हे० | गोड्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त प्रस्ताव जाँच हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 572 दिनांक 08.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी गोड्डा को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 71 | मेसर्स जे०एस०डब्लू स्टील लि० | 93.47 एकड़ | सरायकेला-खरसांवा वन प्रमंडल | उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2580 दिनांक 16.10.2006 से मेसर्स जे०एस०डब्लू स्टील लि० की स्थापना हेतु सरायकेला-खरसांवा जिले में 93.47 एकड़ वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 921 दिनांक 27.10.2006 से प्रस्ताव में कतिपय कमियों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव उद्योग विभाग को वापस किया गया है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 597 दिनांक 02.08.2007 (छायाप्रति संलग्न अनु० -1) से क्षेत्रीय निदेशक, जे०एस०डब्लू स्टील लि० को सूचित किया गया कि प्रस्ताव के त्रुटियों के निराकरण हेतु उनसे सम्पर्क कर निष्पादन करें परंतु अभी तक संशोधित प्रस्ताव अप्राप्त है । | प्रयोक्त अभिकरण के स्तर पर लंबित । |
| 72 | मेसर्स टाटा स्टील लि० द्वारा 12 मिट्रीटन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का निर्माण । | 565.02 एकड़ | रामगढ़ /बोकारो वन प्रमंडल | प्रस्ताव दिनांक 20.01.2006 द्वारा समर्पित किया गया है । उक्त प्रस्ताव में कतिपय त्रुटियों पाए जाने के कारण पुनः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को संशोधित करते हुए 102.16 एकड़ का प्रस्ताव समर्पित किया गया । कार्यकारी निदेशक द्वारा समर्पित 102.16 एकड़ वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर निम्न त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रबंध निदेशक, जिडको को पत्रांक 863 दिनांक 27.09.2006 से अनुरोध किया गया है । मेसर्स टाटा स्टील द्वारा कोतरे बसंतपुर और पंचमों प्रखण्ड के अंतर्गत कोयले के खनन हेतु रामगढ़ एवं बोकारो जिले के अंतर्गत 912 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव दिनांक 14.05.2008 को कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में समर्पित किया गया है । कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 421 दिनांक 14.05.2008 से प्रस्ताव को रामगढ़ वन प्रमंडल एवं बोकारो | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर कार्य प्रगति पर है । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | वन प्रमंडल को भेजते हुए प्रस्ताव की जांच कर विहित प्रपत्र II, III, IIIA मंतव्य के साथ प्रस्ताव भेजने का निदेश भेजा गया है । | |
| 73 | सर्वश्री मेसर्स भुषण पावर इन्डस्ट्रीज एण्ड स्टील लि0 | 0.02 एकड़ | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल / वन प्रमंडल रॉची पूर्वी | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 534 दिनांक 26.06.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल / वन प्रमंडल रॉची पूर्वी को जांच हेतु भेजा गया । | क्षेत्रीय स्तर पर विचाराधीन । |
| 74 | श्री प्रवीण कुमार सूखान, पत्थर खनन परियोजना । लंगरा पतरास । | 2.298 हे0 | कोडरमा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 547 दिनांक 28.06.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 75 | श्री उमा शंकर प्रसाद पत्थर खनन हेतु नवीकरण प्रस्ताव । | | कोडरमा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 551 दिनांक 01.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 76 | श्री मति नीताराम पाल, पत्थर खनन हेतु नवीकरण प्रस्ताव । | | कोडरमा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 550 दिनांक 01.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 77 | श्री संजय राम पाल, पत्थर खनन हेतु नवीकरण प्रस्ताव । | 0.9093 हे0 | कोडरमा वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 552 दिनांक 01.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 78 | श्री मोदी स्टोन वर्क्स, पत्थर खनन प्रस्ताव । | 4.977 हे0 | गिरीडीह वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 587 दिनांक 15.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 79 | मेसर्स अशोक कुमार जैन का स्वर्ण खनन परियोजना । | 2.86 हे0 | धालभूम वन प्रमंडल । | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 518 दिनांक 08.06.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 80 | मेसर्स कमलजीत सिंह अहलुवाहिलय । | 129.499 हे. | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 577 दिनांक 10.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 81 | मेसर्स रूंगटा घाटकुड़ी माइन्स | 567.50 हे0 | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव प्राप्त है जिसे कार्यकारी निदेशक के कार्यालय पत्रांक 574 दिनांक 08.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल को जांच हेतु भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |

| क्र. सं. | परियोजना/प्रयोक्ता अभिकरण का नाम | अपयोजित की जानेवाली वनभूमि (हे. में) | वन प्रमंडल का | अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|
| 82 | मेसर्स उषा मार्टिन लि० विजय ।। रोपवे निर्माण हेतु | 1.974 हे० | सारण्डा वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जांच हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 604 दिनांक 24.07.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |
| 83 | मेसर्स अभिजित इनफ्रेस्ट्रक्चर मौजा टंडवा | 49.07 हे० | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल | प्रस्ताव को जांच हेतु कार्यकारी निदेशक के पत्रांक 645 दिनांक 05.08.2008 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी को भेजा गया । | वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन । |